dUotsUl Iyku

ftyk fM.Mkjh

fooif.kdk

Ø	fooj.k
1	i"BHkfe ,oa iLrkouk
	dEiuh lfpo dh ikfjfHkd rFkk;kjh
	ftys dh {kerkvka] lEHkkoukvksa] detksfj;ksa ,oa Hk; dk fo'ys"k.k **(SWOT)**
	dEiuh dk;kZ;kstuk
	dEiuh lfpo dk mn~ns'; ,oa egRo
	dEiuh lfpo ea nf{kr mn~ns';k dh izkfIr djus gsrq j.kuhfr
2	—f"k ,oa flapkbZ
	—f"k ,oa flapkbZ {ks= esa dEiuh dk izeq[k fcUnq
	dEiuh lfpo & —f"k ,oa flapkbZ lsDVj gsrq dk;kZ;kstuk
	lgdkjh laLFkk dh LFkkiuk
3	LokLF; ,oa efgyk cky fodkl
	dEiuh lfpo ds eq[; fcUnq • xzke LokLF; ,oa LoPNrk lfefr dk iquxZBu ,oa izf'k{k.k • 'krizfr'kr laLFkkxr izlo gsrq iz;kl dk;kZ;kstuk • vk/kkjHkwr fuokj.k ,oa 'kkyk esa vk/;;ujr Nk=@Nk=kvksa dk u= ijh{k.k • ikuh fuxjkuh
4	vkthfodk fodkl

	• eqxhZ ikyu
	• gFkdj?kk
	• yk[k mRiknu
	• e'k:e mRiknu
	• vxjcRrh fuekZ.k
	• eRL; ikyu
	• nksuk iRry
	• cdjh ikyu
	• lkSj {k= ls lacaf/kr xfrfof/k
	• 'kgn mRiknu
5	f'k{kk
	Ldwyksa esa Nk=ksa dh ntZ la[;k Lrj
6	v/kkslajpuk
	ou foHkkx ds lkFk dUotZsUl
7	lkekftd U;k;

i"BHkfe

भारत के मध्य स्थित मध्यप्रदेश राज्य भारत का हृदय प्रदेश है, इसलिए इसे Heart of Incredible India भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 50 जिले, 313 विकास खण्ड तथा 23,040 ग्राम पंचायते है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलो मीटर तथा कुल आबादी 6,03,85,118 है। मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनंसख्या 2,57,94,000 है, जिनमें मुख्य कार्यशील जनंसख्या 1,91,03,000 है। प्रदेश में कुल कास्तकारों की संख्या 1,10,38,000 हैं तथा कुल 74,01,000 व्यक्ति खेतीहर मजदूर है। भारत में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या मध्यप्रदेश में निवास करती है। मध्यप्रदेश राज्य अपनी विविध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक संपदा एवं भौगोलिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। सामान्य वर्षा, अनुकूल जलवायु, खनिज संपदा और कामगारों की बड़ी संख्या प्रदेश के विकास हेतु सकारात्मक वातावरण प्रदान करते है। हालांकि मध्य प्रदेश के विकास सूचकांक भी अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय औसत से कम है। जो दर्शाता है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वर्तमान परिवेश में भी अथक प्रयास किया जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश की मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report) इस ओर इंगित करती है। अतः गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी संतुलित विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि शासन के समस्त विभाग तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं का आपस में समन्वय स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन करें।

iLrkouk

dUotZUl ls fodkl

डिण्डौरी जिला 80.35 से 80.58 डिग्री देशान्तर से 22.17 से 23.22 डिग्री अक्षान्तर पर स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 6128 वर्ग कि0मी0 है। पवित्र नदी नर्मदा डिण्डौरी जिले से होकर गुजरती है। जो कि 1100 मीटर समुद्री तल से ऊपर स्थित है। यहॉ की मैकल पहाड़ियॉ वन औषधियों से परिपूर्ण है। डिण्डौरी जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है जो छत्तीसगढ़ राज्य को छूता है। इसके पूर्व में शहडोल जिला, पश्चिम में मण्डला, उत्तर में उमरिया एवं दक्षिण में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर स्थित है। डिण्डौरी जबलपुर से 144 कि0मी0, मण्डला से 104 कि0मी0 तथा पवित्र भूमि अमरकंटक से 88 कि0मी0 दूर है। डिण्डौरी जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है तथा जिले के मानव विकास सूचकांक दर्शाते हैं कि डिण्डौरी जिला राज्य के अन्य जिलों से सामाजिक–आर्थिक विकास में पिछडा हुआ है । डिण्डौरी जिले की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आदिवासी है एवं 95 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। जनगणना 2001 के अनुसार डिण्डौरी जिले की कुल जनसंख्या 580730 है। जिसमें से पुरूष 291716 एवं महिला 289014 जनसंख्या है। जिले में पुरूष एवं महिला अनुपात 983 है। कुल जनसंख्या में से 374447 (64.48 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 33848 (5.83 प्रतिशत) अनुसूचित जाति है। ग्रामीण जनसंख्या 553860 (95.37 प्रतिशत) एवं शहरी 26870 (4.63 प्रतिशत) है।

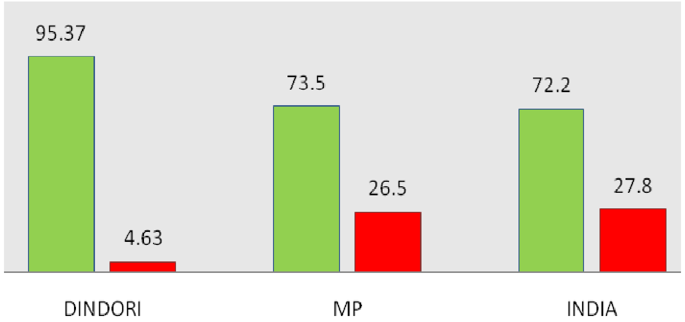

अन्य जिलों की तरह डिण्डौरी जिले में भी समस्त विभाग तथा विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। प्रायः यह देखने में आता है कि एक ही क्षेत्र में कई विभाग या विभाग से संबंधित योजनायें संचालित होती है। परंतु अंतर विभागीय समन्वय न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते है। इस प्रकार समस्त विभाग अपनी विभागीय संसाधनों का उपयोग तो करते हैं परंतु लक्ष्य के प्रति एकरूपता तथा समुचित नियोजन के अभाव में ग्रामीण स्तर पर प्रभावी परिणाम देने से वंचित रह जाते है। अगर विभागीय लक्ष्य पूरे भी हो जाते हें तो प्राप्त लक्ष्यों की गुणवत्ता भी अपने आप में एक प्रमुख मुद्दा बना रहता है।

iue[k ;kstuk,@L=ksr ftu ls fM.Mkjh ftys dk vkoVu ikIr gksrk gS

fofHkUu ;k t ukvk }kjk f t y e iklr vkoVu
f t yk&fM.Mkjh

Ø0	;k t uk dk uke@L=kr	c t V 09&10
1	NREGA	**5076.09**
2	SGSY	**145.43**
3	MDM	**152.86**
4	IAY	**667.49**
5	IWDP	**0.00**
6	Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve	**0.00**
7	12th Finanace	**0.00**
8	Gokul Gram	**0.00**
9	TSC	**247.01**
10	Swajaldhara	
11	MPRLP	**935.00**
12	SSA	**1517.37**
13	PMGSY	
14	Baiga Vikas(Tribal)	**388.50**

Ø0	;k t uk dk uke@L=kr	c t V 09&10
15	ITDP (Tribal)	
16	NVDA	
17	Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission	
18	REGP (KVIC)	
19	NRHM	
20	ICDS	**264.01**
21	Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme	
22	ARWSP (PHED)	
23	SC/ST Special component	
24	State Finanace Commission	
25	MP Development fund	
26	MLA development funds	**154.00**
27	Royalties from Mines	
	TOTAL	

जैसा कि विदित है डिण्डौरी जिला आदिवासी बाहुल्य है तथा जिले की कुल जनसंख्या का 95 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है । डिण्डौरी जिले के समस्त विभााग/योजनाओं को प्राप्त होने वाला आवंटन (वर्ष 2009–10) .... होता है। प्राप्त कुल आवंटन को अगर कुल जनसंख्या के मान से देखा जाये तो प्रति व्यक्ति आवंटन .... होता है। वर्ष 2003 में कराये गये गरीबी रेखा के सर्वे अनुसार जिले में कुल 54.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा की श्रेणी में आते है।

lkekftd vkfFkZd ladsr					
l-Ø-	fooj.k	bdkbZ	Hkkjr	e/;izns'k	fM.Mkjh
d-	tula[;k				
1	जनसंख्या घनत्व (जनगणना – 2001)	प्रति वर्ग कि.मी.	324	196	95
2	पुरूष–महिला अनुपात (जनगणना–2001)	प्रति 1000	933	920	983
3	कुल जनसंख्या का अ0जा0 जनसंख्या	:	16.18	14.54	5.83
4	कुल जनसंख्या का अ.ज.जा. जनसंख्या	:	8.08	23.27	64.48
5	कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या	:	73	74.7	95
6	कुल जनसंख्या में से बी.पी.एल. जनसंख्या प्रतिशत में	:	28.6	37.43	58.7
[k-	flapkbZ				
1	सिंचित क्षेत्र	:	38	31.6	2.1
x-	fo?kfrdj.k				
1	विघुतिकृत ग्राम	:	86.65	97.0	95
?k-	LokLF; ¼tux.kuk&2001½				
1	शिशु मृत्युदर	प्रति 1000	67.6	86.1	88
2	जीवन प्रत्यशतता दर	प्रति 1000	5.4	6.0	5.9
3	जन्मदर		28	30	26
4	मृत्यु दर		8.9	10	10
M-	f'k{kk ¼tux.kuk&2001½				

1	कुल योग	:	65.38	64.11	54.49
2	पुरूष	:	75.85	76.8	70.00
3	महिला	:	54.16	50.28	38.02
4	ग्रामीण	:	59.4	58.1	52.8
5	शहरी	:	80.3	79.67	81.00

उपरोक्त प्रस्तुत सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि डिण्डौरी जिला विकास के कई पैमाने पर वह स्थान नहीं बना पाया है जितनी संभावना इस जिले में व्याप्त हैं। इसी कमी को दृष्टिगत रखते हुये डिण्डौरी के समग्र एवं संतुलित विकास हेतु एवं बेहतर अंतरविभागीय समन्वय के लिए कन्वर्जेन्स प्लान तैयार किया गया है।

dUotsUl Iyku dh ikjfHkd r;kjh

सर्व प्रथम डिण्डौरी जिले के भौगोलिक, जननांकीय, आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया गया तथा विभागवार, योजनावार तथा क्षेत्रवार समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात् समस्त ग्राम पंचायतों की रिर्सोस इन्वेट्री तैयार कर उपलब्ध एवं अनुपलब्ध अधोसंरचना आदि के संबंध में जानकारी के संकलन एवं स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु संबंधी मुद्दों, लिंग एवं सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों आदि पर जानकारी एकत्रित करने हेतु तथा डिण्डौरी जिले के पिछड़ेपन के मूल कारणों के विश्लेषण के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं पिछड़ेपन के कारणों को चिन्हित किया गया, ग्राम पंचायत स्तर से पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण किया गया। कन्वर्जेन्स प्लान हेतु आयोजित बैठकों में प्रत्येक विभाग की योजनाएं का प्रस्तुतीकरण अन्य विभागों के समक्ष रखा गया। जिसके उपरांत विभाग की योजना में अन्य विभाग कैसे अपने वित्तीय एवं भौतिक संसाधन का कन्वर्जेंस कर

उपरोक्त जानकारी एवं आंकड़े एकत्रित कर जिला स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण राज्य एवं राष्ट्रीय औसत से किया गया तथा सामाजिक एवं आर्थिक सूचकों का अध्ययन करने के पश्चात विभागवार, योजनावार एवं क्षेत्रवार बेंन्च मार्किंग करने के पश्चात विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गयी।

ftyk dh {kerkvk] lEHkkoukvk] detkfj;k ,o Hk; dk fo'ys"k.k (SWOT)

जिले की उपलब्धियां कमजोरियां क्षमताएं जानने के लिए एक जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागें के अधिकारियों ने भाग लिया इसमें जिले की भौगोलिक परिस्थिति, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर उपलब्ध आंकडों के आधार पर विश्लेषण किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित मुद्दों को जिले की क्षमताओं, कमजोरियों, संभावनाओं एवं क्रियान्वयन में भय के रूप में वर्गीकृत किया गया :–

- ftyk dk etcwr i{k

1. जिले में प्रचुर मात्रा में जल के प्रकृतिक स्त्रोत उपलब्ध हैं जैसे की नर्मदा कनई सिलगिरी, खरमार, सुखमेर, आदि नदियां डिण्डौरी जिले से निकलती है।
2. जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल 37 प्रतिशत भाग घने जंगलों के ढका हुआ है। जिले में प्रचुर मात्रा में सस्ते मजदूरों की उपलब्धताएं।
3. कई प्रकार की लघु वनोपज उत्पाद जैसे की हर्रा, तेंदू पत्ता, बहेडा, माहुल्य पत्ता, महुआ , औषधीय पौधे और शहद इस जिले में पाए जाते है।
4. पशु घन की बहुल्यता है।
5. अचानकमार–अमरकंटक बायोस्पियर रिजर्व में प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई गई है जिसे भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अध्ययन हेतु चिन्हांकित किया गया है।
6. इकोटोरिस्म की संभावनाएं है।

- ## ftyk dk detkj i{k

1- सिचाई सुविधाओं का निम्न स्तर एवं आभाव (कुल बोये गये क्षेत्र का 2.1 प्रतिशत ही सिंचित क्षेत्र है।)

2- अधिक मिट्‌टी के कटाव के कारण उत्पादन एवं उत्पादका में कमी

3- जिले में अस्पतालों की कमी है और जहां अस्पताल उपलब्ध हैं वो खराब स्थिति में जिसके कारण शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है।

4- पंचायती राज अद्योसंरचना की कमी एवं पंचायत राज प्रतिनिधियों में निर्णय क्षमता का आभाव।

5- पुरानी तकनीकों के कारण कृषि उत्पादन का निम्न स्तर।

6- रेल सुविधाओं, बिजली की कटौती, सडकों की कमी के कारण जिले में कोई आद्योगिक विकास नही हुआ।

7- बिखरे हुए कस्बों में विद्युतिकरण न होने के कारण जीवनयापन का निम्न स्तर है।

8- लोगों के जंगल एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण आर्थिक गतिविधियों का आभाव।

9- शिक्षा का निम्न स्तर ,खराब स्वास्थ्य और पोषण स्तर औसत से अधिक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर।

- ## ftyk esa volj

1. जिले में सिचाई सुविधाओं के विस्तार एवं नई कृषि तकनीकी, पद्धतियां अपनाकर कृषि योग्य क्षेत्रफल को द्विफसलीय क्षेत्रफल में बदलने की अपार संभावनाएं हैं।
2. औषधि पौधो की खेती अपार संम्भावनाए है समनापुर और करंजिया ब्लाक के कुछ क्षेत्रो मे जिनमे बैगा निवास रत है उनमे औषधीय पौधो की खेती की जा रही है जिसे और विस्तृत रूप देने की आवश्यकता है।
3. कपिलधारा, डगोना जलप्रपात, न्यूसा, देवहरा, चाडा, घेघवा, जिवास्म मार्क तथा अन्य स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

4. वन क्षेत्र में अच्छी लकडी की उपलब्धता के कारण हस्तशिल्प एवं लकडी फर्नीचर एवं अन्य सामग्री से संबंधित उद्योगों की अच्छी संभावना है।

5. जिले में अच्छी वर्षा और कम तापमान के कारण उद्यानिकी एवं जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं।

- *Hk;*

1- जिले का अधिकतम भाग जंगल होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम के कठोर नियम ।

2- दुर्गम क्षेत्रो में गांव बसे होने के कारण निर्माण गतिविधियों में चुनौतियां ।

3- ढालू जमीन होने के कारण पानी का अत्यधिक बहाव तेजी से बहाव ।

4- जिले से लगे हुए कुछ अन्य जिलों में जैसे कि बालाघाट, मंडला और कवर्धा, कोरिया, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों के होने के कारणजिले में नक्सल गतिविधियों बढने का भय ।

5- बैगा एवं अन्य अति पिछडी जनजातियां मदिरापान के लत से प्रभावित ।

6- आदिवासी लोगों में लघु वनोपज और प्राकृतिक साधनों के बेहतर प्रबंधन की जागरूकता की कमी ।

7- विद्युतिकरण की खराब स्थिति जिले में एक भी 132 केबी सबस्टेशन नहीं होने के कारण बिजली कटौती की गंभीर समस्या ।

- **SWOT** *dk fo'ky"k.k*

डिण्डौरी जिला आदिवासी जनसंख्या बाहूल्य जिला है। जिनमें से कुछ अति पिछडी जनजातियां केवल इसी जिले में पाईं जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के जिले को विकसित एवं अग्रणी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्षमताओं, संभावनाओं, कमजोरियों एवं भय का विशलेषण करने के उपरांत निम्न तथ्य सामने आये हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बाहुल्यता के बावजूद भी कुछ कारण जैसे कम साक्षरता का प्रतिशत, अपर्याप्त सिचाई सुविधाएं, कम कृषि उत्पादकता और उबड़–खाबड़ ढालू जमीन के कारण जिला अपेक्षित विकास नहीं कर पाया है। परंतु जिले में कुछ महत्वपूर्ण क्षमताएं भी हैं जिन्हें आधार बनाकर जिले को तेजी से

विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। जिले के कमजोरियां को क्षमताओं से अधिक होने के बावजूद कमजोरियों का ध्यान रखकर आवश्यक अधोसंरचना का विकास कर संभावना तक पहुचा जा सकता है।

जिले के कन्वर्जेन्स प्लान को तैयार करते समय विशलेषण करने के लिए कुछ मुख्य बिन्दुओं पर विचार करते हुए कार्ययोजना एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीति बनाई गयी है। जिले की क्षमता–संभावना विशलेषण से जिले की क्षमताओं को देखते हुए संभावनाओं को कैसे विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस पर विचार किया गया। जिले की कमजोरी–संभावना विश्लेषण से यह विशलेषण किया गया कि जिले की संभावनाओं के उपयोग में कौन सी कमजोरियां बाधक बन रही हैं। इसके साथ ही कमजोरी–भय रणनीति के विशलेषण से यह ज्ञात किया गया कि जिले की कमजोरी से आगामी भविष्य में क्रियान्वयन एवं विकास में क्या भय हैं।

dUotUl dk;;ktuk

विभाग के साथ कन्वजेन्स प्लान तैयार करने के लिए पूर्व में वर्णित अध्ययन विधि के अन्तर्गत उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर विभागों को प्राप्त होने वाली राशि, विभाग की आवश्यकताऍ, जन आकांक्षाऍ, आवश्यक अधोसरंचना के संबंध में उपलब्ध संसाधनों एवं निधियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कमियों को पूरा करने तथा ग्रामीण विकास हेतु सहयोगी वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक धनराशि एवं कार्यों/गतिविधियों की सूची तैयार की गयी। जिसमें अंतरविभागीय समन्वय के आधार पर कौन से कार्य किये जा सकते है, उनको प्राथमिकता दी गयी। चिन्हिंत गतिविधियों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर प्रत्येक गतिविधि के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये। लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य को गतिविधियों में बांटकर प्रत्येक गतिविधि की समय सीमा भी निर्धारित की गयी।

dUotUl Iyku dk mnns'; ,oa egRo

- डिण्डौरी जिले के विभागीय/योजनाओं आदि का डाटाबेस अद्यतन करना।
- उपलब्ध अधोसंरचनाओं का विश्लेषण कर आवश्यकताओं का चिन्हांकन करना।

- विभाग एवं अधिकारियों की कार्यशैली का विश्लेषण करने में सहायक। साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिकारीवार जिम्मेदारी नियत कर उनके द्वारा कन्वर्जेन्स प्लान अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों को उनकी गोपनीय चरित्रावली से जोड़ना।
- कार्यों की अलग–अलग मद से स्वीकृति की पुनरावृत्ति रोकना तथा उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करना।

dUotZUl Iyku e nf'kr mnn';k dh ikfIr dju grq j.kuhfr

जिले की कमजोरियों, क्षमता, भय एवं संभावना ; उपलब्ध संसाधन ; जिले की पृष्ठभूमि और भौगालिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के कारणों का विशलेषण किया गया । संक्षिप्त में जो निष्कर्ष सामने आये हैं उनके अनुसार डिण्डौरी जिले में प्रमुख कृषि, लघु वनोपज, हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पाद की सुनिश्चित विपणन व्यवस्था नही हैं जिसके कारण इन उत्पादों को वह मूल्य नही मिल पाता है जिनके ये हकदार हैं। अतः कन्वर्जेन्स प्लान के अंतर्गत **mfpr eY;** के सिध्दांत से अलग **gdnkj eY;** के आधार पर रणनीति तैयार की गयी है। डिण्डौरी जिले के समस्त विकासखण्डों में पूर्व से कार्यरत स्व सहायता समूहों को एकत्रित कर डिण्डौरी जिले का एक सहकारिता संघ बनाया जा रहा है जो डिण्डौरी जिले के समस्त उत्पादों को हकदार मूल्य (जो कि प्रचलित बाजार दर से अधिक होगा) के आधार पर क्रय कर सीधा लाभ कृषकों, लघु वनोपज संग्रहकर्ता एवं हस्तशिल्पियों को प्रदाय करेगा।

जिला अपने जल संसाधनों का उपयोग कर कृषि उत्पादन बढा सकता है। इसके साथ ही उपलब्ध कृषि योग्य भूमि को एक फसलीय से द्विफसलीय तथा नगदी फसल की ओर सिचाई सुविधाओं के विस्तार से उद्धित किया जा सकता है। इन अंर्तनिहित क्षमताओं द्वारा कृषि की नई तकनीकि का उपयोग करते हुए जिला कृषि उत्पादन में बहुआयामी वृद्धि कर सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विकास के कार्य किये जायेगें। जिले की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः वर्षा पर आश्रित कृषि पर ही निर्भर करती है। इसलिए बागवानी, उद्यान एवं दलहनी फसलों का उत्पादन बढाने के लिए बिना सिचाई सुविधाओं के विस्तार के नहीं किया जा सकता । अतः इन क्षेत्रों में कार्यो को प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए । इसके अलावा कृषको एवं खेतीहर मजदूरों को प्रशिक्षण भी बागवानी तथा फलदार वृक्षारोपण के साथ–साथ दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कृषि उत्पादन बढाने के लिए दलहनी फसलों एवं उन्नत बीजों तथा कृषि उपकरणों के प्रदाय से वर्तमान

सप्लायरों का लाभ लेते हुए विकास की कड़िया जोडी जा सकती हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत सिचाई स्त्रोत जैसे कुआं एवं खेत तालाब आदि के निर्माण से सिचाई सुविधाओं का विस्तार अंतिम छोर तक किया जा सकता है।

जिले की टोपोग्राफी को दृष्टिगत रखते हुये डिण्डौरी में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन संरचनाओ के निर्माण की अच्छी संभावना है। नर्मदा नदी जिले में सबसे बडा कैचमेंट ऐरिया बनाती है। जिसके जल का उपयोग जलग्रहण प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वृहद स्तर पर जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कार्य स्वीकृत किये जा रहे है।

डिण्डौरी जिले के गरीब, भूमिहीन एवं आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की रिसोर्स मेंपिंग (Resource Mapping) कर सुनिश्चित आजीविका (assured source of Livelihood) उपार्जन हेतु विभिन्न गतिविधियो का चिन्हांकन किया गया है तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे हुये व्यक्ति/परिवारों का कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण कर इन गतिविधियों से जोडने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।

जिले की अन्य कमजोरियां जैसे ग्रामों में संपर्क मार्गो की कमी को दूर करने के लिए पुल–पुलियों का निर्माण एवं मार्गो के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उपरोक्तानुसार अध्ययन, विश्लेषण एवं समस्त विभागों से चर्चा उपरांत डिण्डौरी जिले के समग्र एवं संतुलित विकास हेतु कन्वर्जेन्स प्लान तैयार किया गया जिसको निम्नानुसार भागों में बांटा गया है –

1- —f"k ,oa flapkbZ

2- vkthfodk fodkl

3- LokLF; ,oa efgyk cky fodkl

4- f'k{kk

5- lkekftd U;k;

6- v/kkslajpuk

—f"k ,oa flapkbZ

डिण्डौरी जिला सतपुडा—मेकल रेंज में समुद्र तल से 1100 मी0 की ऊंचाई पर स्थित है। डिण्डौरी जिले का भौगोंलिक क्षेत्रफल 6,128.00 वर्ग किलो मीटर है जिसमें से कृषि योग्य निराबोया रकबा 220000 हैक्टेयर है। जिले में खरीफ फसल का रकबा 1,81,011 हे0 एवं रबी फसल का रकबा 82,692 हे0 है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादातर पठारी है एवं औसत वार्षिक वर्षा 1196 मिली मी0 है इन कारणों से वर्षा का जल तेजी से बहता हुआ चला जाता है जिसके कारण मिट्टी का कटाव गली एवं भूमि की उत्पादकता पर विपरीत असर होता है। साथ ही जिले में कई जल संरचनाएं वर्षा जल को रोकने के लिए बनाई गई हैं लेकिन उनकी क्षमता कम हैं। जिले का सिंचित क्षेत्र कुल बोये गये क्षेत्र का मात्र 4 प्रतिशत है जोकि म0प्र0 के औसत 28 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय औसत 38 प्रतिशत से बहुत कम है। फसल घनत्व भी डिण्डौरी जिले में राज्य की तुलना से बहुत कम है।

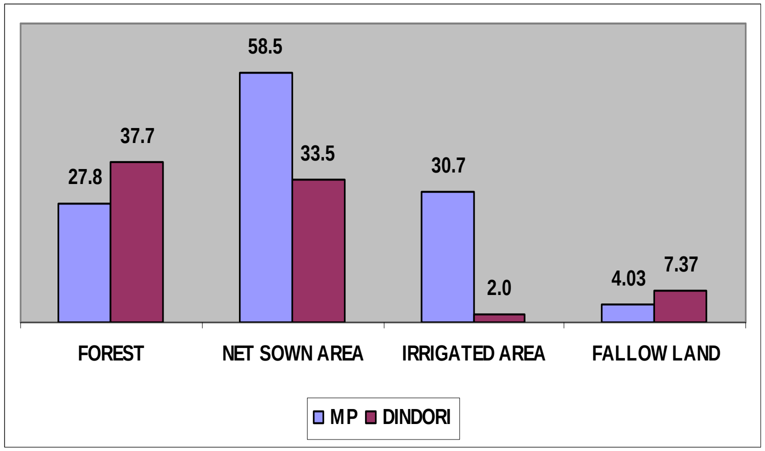

प्रस्तुत सारणी अनुसार 46.36 प्रतिशत किसान, 86.51 भूमि का उपयोग करते है। डिण्डौरी जिला मध्यप्रदेश के 39.7 प्रतिशत किसानों की तुलना में 78.44 प्रतिशत भूमि का उपयोग करते है, इसी प्रकार सीमान्त भूमि धारक 5.04 प्रतिशत है, जबकि किसान 36.1 प्रतिशत है,

d"kdksa dh Js.kh	MP		Dindori	
	No-	**Area (ha-)**	**No,**	**Area (ha-)**
lhekUr d"kd	23.56	11.36	0.31	0.14
y?kq d"kd	16.88	24.38	0.15	0.23
vU;	25.93	130.04	0.40	2.34

मध्यप्रदेश में सीमान्त भूमि धारक 6.85 प्रतिशत है एवं किसान 35.5 प्रतिशत है।

डिण्डौरी जिले की प्रमुख फसलें गेहू , धान, ज्वार, कोदो , कुटकी, रमतिला, मसूर, चना, अरहर एवं सोयाबीन हैं जिले में 163247 खेतीहर मजदूर हैं जिले की कृषि से संबद्ध मुख्य समस्या पर्यावरण, मौसम एवं अन्य कारणों से मिट्टी का क्षरण है। जिसके कारण जिले की भूमि में मिट्टी की उपरी परत बहुत कम है। जोकि कम उत्पादन का कारक है।

जिले में खरीफ का क्षेत्रफल रबी के क्षेत्रफल से बहुत अधिक है। जो कि असिंचित कृषि का क्षेत्र ज्यादा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिले में कृषक पुरानी पद्धति से कृषि करते है एवं पुराने उपकरण उपयोग करते हैं जिससे उनके श्रम एवं धन का अनावश्यक

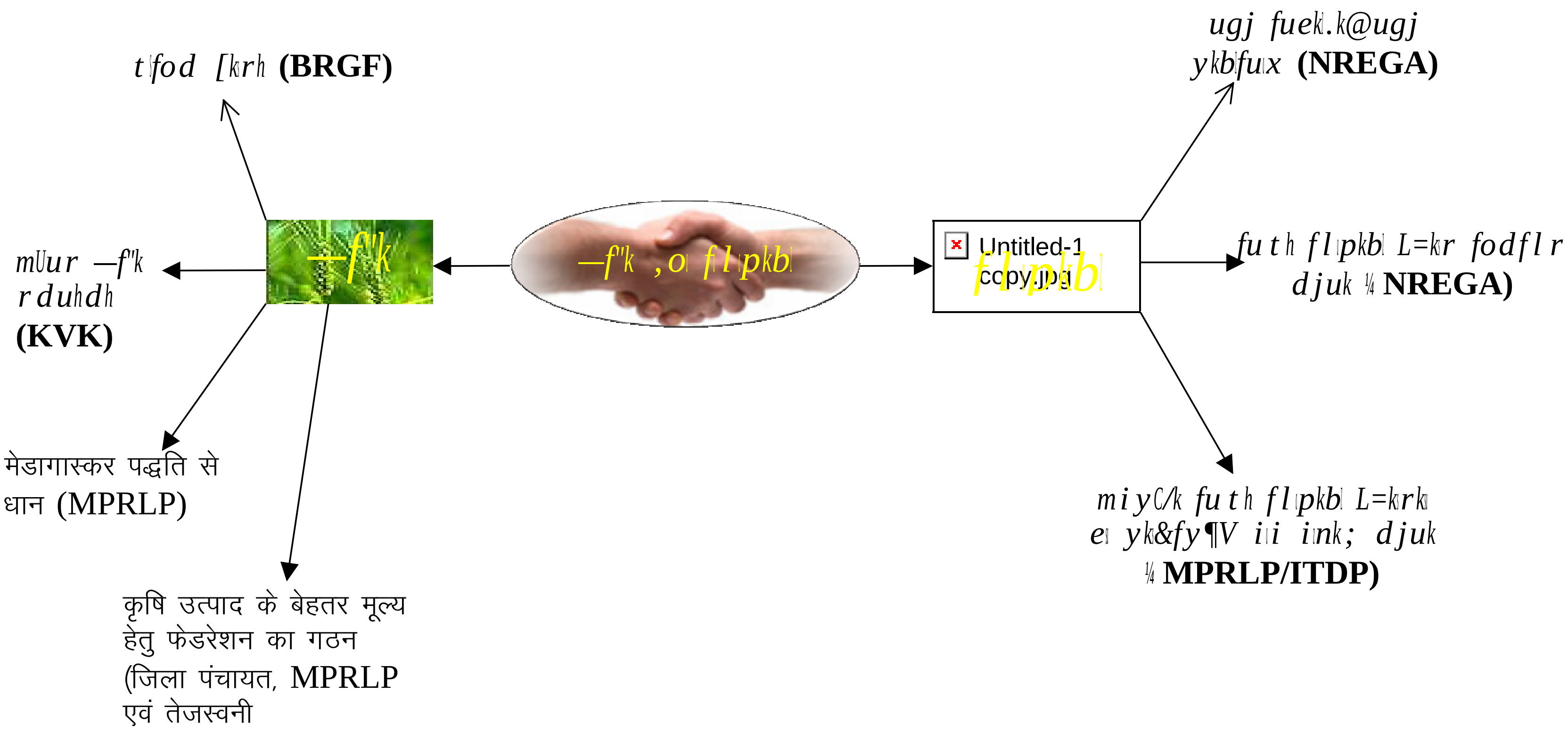

dUo tU l l fodkl dUo tU l j[kk fp=

अपव्यय होता है। तथा उत्पादन भी कम मिलता है। गरीबी एवं जागरूकता में कमी के कारण रासायनिक खाद एवं अच्छे बीजों तथा उपकरणों का उपयोग किसान नहीं करते, जिले में कृषि विभाग के तकनीकि अमले की भी कमी है तथा तिलहन संघ जैसी क्षेत्र विस्तार योजनाओं की कमी है जिसके कारण कृषि तकनीकि का हस्तांतरण नहीं हो पाता जोकि कम उत्पादकता का मूल कारण है।

कृषि क्षेत्र में कमियों को दूर करने के लिए जिले की विकास परियोजनाओं में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ एवं विस्तार करने के लिए कृषि विभाग, म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना, कृषि विज्ञान केन्द्र, जल संसाधन विभाग का कन्वर्जेन्स राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के साथ किया गया। इस कन्वर्जेन्स का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढाना एवं कृषि को फायदे का धन्धा बनाने का है ताकि सीमांत तथा लघु कृषकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके ।

—f'k ,oa flapkbZ {ks= esa dUotsZUl ds iz;[k fcUnq

पूर्व में भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कृषि विकास एवं सिंचाई व्यवस्था के विस्तार हेतु कई कार्य स्वीकृत किये गये है। परंतु कन्वर्जेन्स प्लान के माध्यम से business process re-engineering के सिद्धान्त पर रणनीति तैयार की गई है जिसके आधार पर निश्चित समय सीमा में लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है।

- सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत नये कार्य स्वीकृत करना।
- पूर्व निर्मित सिंचाई क्षमता का शतप्रतिशत उपयोग करना जिसके लिए जिसके लिए अंतिम छोर तक नहर लाईनिंग या नई नहर आदि का निर्माण करना।
- पूर्व से निर्मित कूपों में डीजल पम्प और कम लागत के लो लिफ्ट पम्प प्रदाय करना।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विशेष केन्द्रीय सहायता (275/1) के अंतर्गत सिंचाई सुविधा हेतु निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं करना बल्कि यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत स्वीकृत करना। ताकि इन योजनाओं की राशि अन्य आवश्यक कार्यों में उपयोग किया जा सके।

- जिले में सिंचाई सुविधा के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु जल संसाधन विभाग अंतर्गत निर्मित योजना/प्रस्तावित कार्यों के लिए मात्र भूमि अधिग्रहण की राशि विभाग/योजना से लेना तथा निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत स्वीकृत करना।
- कम मूल्य की फसलों को मक्का एवं दलहनी फसलों से बदलना ।
- निचली जमीनों में मेडागास्कर पद्धति से धान उत्पादन करना।
- हरे एवं गोबर के खाद तथा रासायनिक खादों का अधिक उपयोग ।
- उन्नत कृषि हेतु प्रत्येक ग्राम में प्रदर्शन प्लॉट तैयार करना।
- कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से फसलों मे सही समय पर खाद एवं कीटनाशको का उपयोग हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार करना।
- समस्त जिले में वृहद स्तर पर बाडी तैयार कर उच्च मूल्य की फसलें लेना।

d`f"k mRikndrk e| of) grq iR;{d fodkl [kM e| cht mRiknu grq lgdkjh lfefr dk xBu

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मात्र दो ही विकल्प हो सकते है, या तो कृषि का रकवा बढ़ाया जाये या कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो। सामान्य तौर पर चूंकि कृषि का रकवा बढ़ाना संभव नहीं है इसलिए कृषि उत्पादन व खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जाये। कृषि उत्पादकता हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक उन्नत बीज की उपलब्धता है परंतु डिण्डौरी जिले में उन्नत बीज बहुत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। कृषि विभाग के अलावा कृषि विज्ञान केन्द्र एवं ग्रामीण आजीविका परियोजना के द्वारा जिले के कुछ ग्रामों में उन्नत बीज प्रदाय कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। परंतु सम्पूर्ण जिलें में उन्नत बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में बीज उत्पादन

हेतु सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। निकट भविष्य में बीज उत्पादन हेतु सहकारी समिति का गठन ग्राम पंचायतों के कलस्टर स्तर पर भी किया जावेगा।

fM.Mkjh ftys esa d`f"k lgdkfjrk la?k dh LFkkiuk

डिण्डौरी जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। प्रायः यह देखने में आता है कि जिले में कृषि तथा कृषक बहुत हद तक स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते है। इसलिए जिले में अन्य जिलों की तरह कृषकों के हित तथा उनसे मुद्‌दों को लेकर संस्थाएं क्रियाशील नहीं है। जिसका सीधा लाभ व्यापारी या बिचौलिये को होता है क्योंकि वह कृषकों को कृषि उत्पाद का बहुत ही कम मूल्य अदा करते है। परंतु यही उत्पाद संगठित हो एकत्रित कर अन्य बाजारों में ऊंचे दामों पर विक्रय करते है। अतः कन्वर्जेन्स प्लान के अंतर्गत **mfpr eY;** के सिध्दांत से अलग **gdnkj eY;** के आधार पर रणनीति तैयार की गयी है। डिण्डौरी जिले के समस्त विकासखण्डों में पूर्व से कार्यरत स्व सहायता समूहों को एकत्रित कर डिण्डौरी जिले का एक सहकारिता संघ बनाया जा रहा है जो डिण्डौरी जिले के समस्त उत्पादों को हकदार मूल्य (जो कि प्रचलित बाजार दर से अधिक होगा) के आधार पर क्रय कर सीधा लाभ कृषकों, लघु वनोपज संग्रहकर्ता एवं हस्तशिल्पियों को प्रदाय करेगा। सहकारिता संघ के गठन हेतु प्रत्येक विकास खंड से पांच स्व सहायता समूहों का चयन किया जाकर जिला स्तरीय संघ की स्थापना होगी।

dk;l;ktuk

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डिण्डोरी जिले के कृषि एवं वनोपज की विपणन व्यवस्था हेतु फेडरेशन तैयार करना	1. श्री एस.के. मिश्रा एपीओ, जि.पं.	फेडरेशन के लिए प्रत्येक विकासखंड में 5 स्वसहायता समूह तैयार करना (21 समूह एमपीआरएलपी एवं 14 समूह तेजस्वनी)	35	टेक्नो–मेनेजेरियल सपोर्ट हेतु बीआरजीएफ (एमडीटी फण्ड)	7.15	जिला पंचायत एवं एमपीआरएलपी	सम्पूर्ण जिला	1. 15.9.09 तक समूह चिहिंत करना	
		2. श्री पंकज पांडे, एसएमएस–(माईक्रो फाइनेंस) एमपीआरएलपी	समूहों को राशि जारी करना	35	एमपीआरएलपी एसजीएसवाय एवं बैंक	8.75	जिला पंचायत एवं एमपीआरएलपी		30.10.2009 तक प्रकरण बैंक में लगाना।	
			प्रशिक्षण	35	तेजस्वनी एवं एमपीआरएलपी	1.75	जिला पंचायत एवं एमपीआरएलपी		3. 15.11. 2009 तक	
2	समस्त फसलों में उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने हेतु कृषि प्रदर्शन प्लाट	1. श्री रामवीरसिंह एसएमएस–कृषि एमपीआरएलपी 2. डॉ. हरीश दीक्षित, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र 3. श्री नरवरिया उप संचालक कृषि	उन्नत तकनीक तथा जैविक खेती को बढावा देने क लिए ग्राम स्तर पर कृषि प्रदर्शन प्लाट तैयार करना					सम्पूर्ण जिला		
	2009–10			5 ग्राम	कृषि विज्ञान केन्द्र		कृषि विज्ञान केन्द्र		30.11.09 तक	कृषि विभाग द्वारा संचालित आत्मा परियोजना में वर्णित वित्तीय प्रावधानों के
				60 ग्राम	उप संचालक कृषि		उप संचालक कृषि		30.11.09 तक	
				75 ग्राम	एमपीआरएलपी		एमपीआरएलपी		30.11.09 तक	
	2010–11			397 ग्राम	कृषि विभाग एवं एकीकृत आदिवासी बैगा विकास		तेजस्वनी परियोजना		30.7.2010	अनुरूप प्रदर्शन प्लाट संचालित किये जायेगें।
				340 ग्राम	एमपीआरएलपी		एमपीआरएलपी		30.7.2010	
				50 ग्राम	आत्मा परियोजना		प्रदान संस्था		30.7.2010	

				150 ग्राम	उप संचालक कृषि		उप संचालक कृषि		30.7.2010	
3.	जैविक खेती	1. श्री रामवीरसिंह एसएमएस–कृषि एमपीआरएलपी 2. श्री आई.एल. गौलिया, ग्रा0कृ0वि0अ0	1. जैविक खेती हेतु जैविक पद्धति तैयार करना	1	कृषि विज्ञान केन्द्र		कृषि विज्ञान केन्द्र	सम्पूर्ण जिला	30.10.2009	
			2. जैविक उत्पाद हेतु प्रमाणीकरण	1	उप संचालक कृषि		उप संचालक कृषि		नवम्बर 09 तक	
			3. सौइल टेस्टिंग लैब	1	1. कृषि विज्ञान केन्द्र 2. उप संचालक कृषि		1. कृषि विज्ञान केन्द्र 2. उप संचालक कृषि		30.10.2009	
			4. जैविक उत्पाद हेतु विपणन की कार्ययोजना	1	एमपीआरएलपी		तीन सदस्यीय कमेटी		15.11.2009	
							1. श्री नरवरिया उप संचालक कृषि			
							2. श्री दीक्षित कृषि विज्ञान केन्द			
							3. श्री रामवीरसिंह राजपूत एमपीआरएलपी			
4.	प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन	संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों के कृषि विशेषज्ञ	कृषि विभाग के समस्त अमले, आजीविका परियोजना के कृषि विशेषज्ञ तथा ग्रामीण कृषकों को प्रशिक्षण देना		कृषि विज्ञान केन्द्र, एमपीआरएलपी एवं कृषि विभाग के संयुक्त मद से		कृषि विज्ञान केन्द्र	सम्पूर्ण जिला	नवम्बर 09 तक	प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक संख्या ज्ञात न होने के कारण राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
5	उन्नत बीज उपलब्धता	1. श्री आर.एल. यादव, ग्रा0कृ0वि0अ0	प्रत्येक विकासखंड में एक बीज उत्पादक सहकारिता समिति गठन करना	7	कृषि विभाग		उपखंडीय अधिकारी कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला	नवम्बर 09 तक	

6	कृषि जानकारी का आदान प्रदान	समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र	1. ग्रुप मैसेज सेवा		कृषि विज्ञान केन्द्र		कृषि विज्ञान केन्द्र	सम्पूर्ण जिला	30.9.2009	एमपीआरएलपी के पीएफटी सदस्य, तेजस्वनी के संगठक, किसान मित्र, किसान दीदी, कृषि विकास विस्तार अधिकारी, पटवारी, जन प्रतिनिधि को मोबाईल फोन के माध्यम से ग्रुप मैसेज सर्विस से जोडना
		श्री रामवीरसिंह राजपूत एमपीआरएलपी	2. चलित यूनिट का गठन	7	जिला पंचायत		एमपीआरएलपी	सम्पूर्ण जिला	15/11/2009	एमपीआरएलपी को एलसीडी प्रोजक्टर प्रदाय करना
7	प्रत्येक बाडी हेतु उपयुक्त फसल चक्र तैयार करना	डॉ0 हरीश दीक्षित समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र	प्रत्येक बाडी हेतु उपयुक्त फसल चक्र तैयार करना एवं कृषकों तक प्रसारित करने		प्रदान संस्था, एमपीआरएलपी, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विभाग (स्वयं के संसाधनों से)		प्रदान संस्था, एमपीआरएलपी, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला	30/10/2009	
8	मसूर का उत्पादन और उत्पादकता बढाना	1. श्री रामवीरसिंह राजपूत एमपीआरएलपी 2. श्री सिंघा, जिला प्रबंधक तेजस्वनी श्री डी.एस. ष्याम, कृ0वि0अ0	1. मसूर फसल के रकवे में 26,000 है. से 35,000 है. तक वृद्धि करना	4080 hac	क्रियान्वय एजेंसियों द्वारा कृषकों को स्वयं के संसाधनों से क्षेत्रफल बढाने हेतु प्रेरित करना		एमपीआरएलपी	340 ग्राम	नवम्बर 09 तक	
				4000 hac			तेजस्वनी परियोजना	397 ग्राम		
				1000 hac			उप संचालक कृषि	150 ग्राम		
			2. प्रशिक्षण		प्रदान संस्था, एमपीआरएलपी, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विभाग (स्वयं के संसाधनों से)		कृषि विज्ञान केन्द्र		15.10.09 से 30.10.09 तक	

ckMh fodkl dk;Øe

बॉडी विकास गतिविधि के अतंर्गत विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे तथा आवष्यकतानुसार वानिकी पौधों का रोपण हितग्राही के घर से लगे स्थान जिसे बॉडी के नाम से जाना जाता है में किया जावेगा। अतः इस आधार पर इस कार्यक्रम को बॉडी विकास कार्यक्रम कहा गया है। बॉडी विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य लघु एव सीमांत कृषकों के निवास स्थान के आस–पास की देख–रेख वाली भूमि पर बॉडी विकास कार्यक्रम अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियां की जाएंगी :–

1. सीमित भूमि से अधिक आमदनी तथा आय सृजन।
2. उपलब्ध भूमि का समुचित उपयोग व प्रबंधन।
3. सिंचित, अर्द्धसिंचित क्षेत्रों मे उद्यानिकी/वानकी फसलों का विस्तार।
4. खेती को फायदे का धन्धा बनाने के उद्देश्य से उच्च मूल्य की फसलें लेना।

ckMh fodkl dk;Øe dh dk;Z;kstuk

लघु एव सीमांत कृषकों की बाड़ियों में बाड़ी विकास कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना निर्मल वाटिका अंतर्गत फलदार पौधों का रोपण किया जायेगा। बाडी अतंर्गत रोपित किये गये पौधो का ग्रामीण पषुओ से सुरक्षा किया जाना अंत्यंत आवष्यक है इस हेतु पौधों के आस–पास ट्रीगार्ड बनाकर उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया जायेगा साथ ही बाडी में रोपित फलदार पौधों तथा कृषकों खेतों में समय–समय पर गोबर की खाद डालने के लिए प्रत्येक बाड़ी में नाडेप टांका अथवा वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जाएगा। बाडी अतंर्गत रोपित पौधों के साथ में खरीफ एवं रबी की फसल जैसे मक्का, राई, रमतिला, सोयाबीन इत्यादि का इंटर क्रापिंग कर उसी भूमि से दोहरी फसल उगाई जा सकेगी जिससे न केवल रोपित फलदार वृक्षो को पोषण की अधिक मात्रा प्राप्त होगी वल्कि सीमित भूमि से भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

प्रत्येक बाडी समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौंचालय निर्माण भी किया जाएगा तथा यह भी प्रयास किया जाएगा कि जिले की अधिक से अधिक ग्राम पंचायतें निर्मल ग्राम पुरूस्कार से सम्मानित हो सकें।

dk;l;ktuk

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग / योजना / मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कृषि आय बढाने हेतु होम स्टीड भूमि पर बाडी विकास	1 अर्चना सिंह 2. श्री रेवेन्द्र येडे 3. श्री आई एल गोलिया 4. श्री निशांत चतुर्वेदी 5. श्री शुभेन्दु सिंघा 6. श्री एन के शुक्ला	*1- ckMh fodkl*	**35000**				सम्पूर्ण जिला	30.11.09 तक	
			प्रदान संस्था	2000			प्रदान संस्था			
			एमपीआरएलपी	9000			एमपीआरएलपी			
			कृषि विभाग	3200			कृषि विभाग			
			जिला पंचायत	9800			जिला पंचायत			
			तेजस्वनी	10000			तेजस्वनी			
			उद्यान विभाग	1000			उद्यान विभाग			
			2- 'kkpky; fuek.k	**35000**	एनआरईजीएस (निर्मल वाटिका उपयोजना)	787.5	जिला पंचायत			राशि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को जारी की जावेगी
			प्रदान संस्था	2000		45.00	प्रदान संस्था			
			एमपीआरएलपी	9000		202.50	एमपीआरएलपी			
			कृषि विभाग	3200		72.00	कृषि विभाग			
			जिला पंचायत	9800		220.50	जिला पंचायत			
			तेजस्वनी	10000		225.00	तेजस्वनी			
			उद्यान विभाग	1000		22.50	उद्यान विभाग			
			3- o{kkjki.k	**350000**	एनआरईजीएस (निर्मल वाटिका उपयोजना)	350.00			15.10.09 तक	
			प्रदान संस्था	20000		20.00	प्रदान संस्था			
			एमपीआरएलपी	90000		90.00	एमपीआरएलपी			
			कृषि विभाग	32000		32.00	कृषि विभाग			
			जिला पंचायत	98000		98.00	जिला पंचायत			
			तेजस्वनी	100000		100.00	तेजस्वनी			
			उद्यान विभाग	10000		10.00	उद्यान विभाग			
			4- oehl dEikLV@ ukMi Vkdk	**35000**	एनआरईजीएस (निर्मल वाटिका उपयोजना)					
			प्रदान संस्था	20000			प्रदान संस्था			
			एमपीआरएलपी	90000			एमपीआरएलपी			
			कृषि विभाग	32000			कृषि विभाग			
			जिला पंचायत	98000			जिला पंचायत			
			तेजस्वनी	100000			तेजस्वनी			

			उद्यान विभाग	10000			उद्यान विभाग			
			5- ykl fyQV iEi	ifr ckMh e ,d	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना			परियोजना के क्लस्टर ग्राम		
2	वर्ष 2009–10		3000 बाडी में मटर उत्पादन				2000 बाडी में एमपीआरएलपी			
							1000 बाडी में तेजस्वनी			
	वर्ष 2010–11		1610 बाडी में अदरक उत्पादन				1000 बाडी में एमपीआरएलपी			
							500 बाडी में तेजस्वनी			
							110 बाडी में सहायक संचालक उधानिकी			

dUo tsl Iyku vrxlr flPkkbl {k= dh dk;l;ktuk

वर्तमान में डिण्डौरी जिले में सिंचाई विभाग के अंतर्गत निर्मित 49 योजनाऐं है। जिनमें 39 जलाशय एवं 10 एनीकट/रेग्यूलेटर हैं। जिनकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 6776 हेक्टयर खरीफ एवं 2547 हेक्टयर रबी कुल 9323 हेक्टयर है। वर्ष 2008 – 2009 के लिए खरीफ –1173 हेक्टयर एवं रबी 1848 हेक्टर कुल 3021 हेक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पर्याप्त वर्षा होने के कारण तथा कास्तकारों द्वारा खरीफ सिंचाई हेतु की गई मांग के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में कुल .... राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिससे .... हैक्टेयर एरिया सिंचित होगा।

वर्तमान में जिले में 49 निर्मित योजनाऐं है। जिनमें 39 जलाशय एवं 10 एनीकट/रेग्यूलेटर हैं। जिनकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 6776 हेक्टयर खरीफ एवं 2547 हेक्टयर रबी कुल 9323 हेक्टयर है। वर्ष 2008 – 2009 के लिए खरीफ –1173 हेक्टयर एवं रबी 1848 हेक्टर कुल 3021 हेक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पर्याप्त वर्षा होने के कारण तथा कास्तकारों द्वारा खरीफ सिंचाई हेतु की गई मांग के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत नये कार्य स्वीकृत करना। पूर्व निर्मित सिंचाई क्षमता का शतप्रतिशत उपयोग करना जिसके लिए जिसके लिए अंतिम छोर तक नहर लाईनिंग या नई नहर आदि का निर्माण करना। पूर्व से निर्मित कूपों में डीजल पम्प और कम लागत के लो लिफ्ट पम्प प्रदाय करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विशेष केन्द्रीय सहायता (275/1) के अंतर्गत सिंचाई सुविधा हेतु निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं करना बल्कि यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत स्वीकृत करना ताकि इन योजनाओं की राशि अन्य आवश्यक कार्यों में उपयोग किया जा सके।

जिले में सिंचाई सुविधा के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु जल संसाधन विभाग अंतर्गत निर्मित योजना/प्रस्तावित कार्यों के लिए मात्र भूमि अधिग्रहण की राशि विभाग/योजना से लेना तथा निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत स्वीकृत करना। जिले की कुल सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए त्रिवर्षीय कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है।

o"kl 2009&10

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 09–10 हेतु 138 कार्य रोजगार गारंटी मद मे प्रस्तावित किये गये है जिनकी लक्षित सिंचाई क्षमता 6753 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित लागत 5975.63 लाख है जो लक्षित दर रू. 150000 प्रति हेकटेयर से कम है इसमें आदिवासी उपयोजना मद की 7 लघु सिचाई योजना एवं हरिजन विशेषांक मद की 1 सिंचाई योजना पूर्ण की जावेगी। इसी तरह नहरो के 13 सुद्रढीकरण कार्य लिये गये है। पूर्व निर्मित जलाशयों के फ्लसबार का स्तर बढ़ाकर बॉध के क्षमता वृद्धिकरण कार्य के तहत 16 योजनाओं का चयन किया गया है। जलाशयों में सिल्ट सफाई एवं गहरीकरण हेतु 5 योजनाओं को चयनित किया गया है इससे जल भण्डारण क्षमता के साथ साथ भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। बॉध सुरक्षा बोर्ड द्वारा चयनित 4 जलाशयों का जीर्णोद्धार कार्य लिया गया है। डिण्डौरी जिले में उपलब्ध भू स्ट्रेटा के आधार पर नहर लाईनिंग अनिवार्य है जिससे जल जो व्यर्थ चला जाता है, के क्षरण को रोका जा सकेगा। इसी श्रृंखला में जिले की बारहमासी नदी नालों में श्रृंखलाबद्ध स्टापडैम, हेतु 50 नग स्थानों का चयन किया गया है जिससे ग्रेविटेशनल फ्लों सिंचाई एवं पम्प पद्धति से सिंचाई की जा सकेगी। इन समस्त कार्यो के पूर्ण होने पर जिले की सिंचाई क्षमता अद्यतन 5.31 प्रतिशत होगी।

o"k 2010&11

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 हेतु 44 कार्य रोजगार गारंटी योजना में प्रस्तावित किये गये हैं जिनकी लक्षित सिचाई क्षमता 4888 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित लागत 3955.09 लाख है। जो लक्षित दर रू. 150000.00 प्रति हेक्टेयर से काफी कम है। इसमें आदिवासी उपयोजना मद की 7 योजनाओं एवं वर्ष 09–10 में जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वेक्षित योजनाओं में से 4 योजनाओं को वर्ष 2010–11 में निर्माण हेतु लिया गया है। इसी तरह शेष बची 13 योजनाओं की नहरों हेतु लाईनिंग प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2010–11 के लिये बारहमासी नदी/नालों हेतु 11 नग स्टापडेम/एनीकट का स्थल चयन किया गया है। इन समस्त कार्यो के पूर्ण होने पर जिले की अद्यतन सिंचाई क्षमता बढ़कर 6.97 प्रतिशत हो जावेगी।

o"k 2011&12

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु 20 लघु सिंचाई योजनाओं को रोजगार गारंटी योजना में प्रस्तावित किया गया है। जिनकी लक्षित सिंचाई क्षमता 2974 हेक्टेयर तथा अनुमानित लागत 3464.72 लाख है इसमें आदिवासी उपयोजना मद के तहत शेष 17 सर्वेक्षित योजनाओ को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, एवं नवीन चिन्हित योजनाओं मे से 3 लघु सिंचाई योजनाओं को वर्ष में निर्माण हेतु चयन किया गया है। रोजगार गारंटी योजना के तहत पूर्ण होने पर जिले की अद्यतन सिंचाई क्षमता बढ़कर 8.22 प्रतिशत हो जावेगी।

flPkkbl {k= dh dk;l;kstuk

l-Ø-	xfrfof/k	ykHkkfor fgrxkfg;ksa dh la[;k	;kstuk dk uke	xfrfof/k dk fooj.k	fØ;kUo;u ,tsalh	Hkkxksfyd {ks=	le; lhek
1	2	3	4	5	6	7	8
¼v½ ,-vkbZ-ch-ih- ekx la[;k 41@4702 ¼;kstuk en½							
1	जल सरक्षण एवं सिंचाई	140	भगनवारा जलाशय	शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य का निर्माण कार्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	अमरपुर	30/6/2010
2	जल सरक्षण एवं सिंचाई	145	उदार जलाशय			डिण्डौरी	30/6/2010
3	जल सरक्षण एवं सिंचाई	153	बंजरटोला जलाशय			अमरपुर	30/6/2010
4	जल सरक्षण एवं सिंचाई	1089	दनदना जलाशय			मेंहदवानी	30/6/2010
5	जल सरक्षण एवं सिंचाई	155	करौंदा जलाशय			बजाग	30/6/2010
6	जल सरक्षण एवं सिंचाई	53	बिलाईखार जलाशय			बजाग	30/6/2010
7	जल सरक्षण एवं सिंचाई	160	सरई जलाशय			समनापुर	30/6/2010
	;kx&	**1895**	&			&	&
¼c½ vkfnoklh mi;kstuk ekx la[;k 41@4702 ¼;kstuk en½							
1	जल सरक्षण एवं सिंचाई	281	cjxh tyk'k;	शेष नहर कार्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	leukiqj	31/03/2010
2	जल सरक्षण एवं सिंचाई	248	dNkjh tyk'k;	शेष नहर कार्य एवं शीर्ष कार्य		'kgiqjk	31/03/2010
3	जल सरक्षण एवं सिंचाई	62	ik[kk Vkyk tyk'k;			vejiqj	31/03/2010
4	जल सरक्षण एवं सिंचाई	172	jkNk tyk'k;			'kgiqjk	30/6/2010
5	जल सरक्षण एवं सिंचाई	36	Nijh tyk'k;			vejiqj	30/6/2010
6	जल सरक्षण एवं सिंचाई	56	?kkiriqj tyk'k;			ctkx	30/6/2010
7	जल सरक्षण एवं सिंचाई	208	xkj[kiqj m-fl- ;kstuk			djftk;k	31/03/2010
8	dqy ;kx &	**1063**		&	&	&	&
¼l½ ekx la[;k 64@4702 ¼gfjtu fo'k"kkd½							
1	जल सरक्षण एवं सिंचाई	215	dfgtjk tyk'k;	शेष नहर कार्य एवं शीर्ष कार्य	——'''——	'kgiqjk	31/03/2010
	dqy ;kx &	**215**		&	&	&	&
¼1½ ugj lqn<hdj.k dk;Z							
1	जल संवर्धन एवं सिंचाई	35	घानामार जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	डिण्डौरी	31/01/2010
2	——'''——	17	लाखो जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		डिण्डौरी	31/01/2010
3	——'''——	25	फतेहपुर जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		मेंहदवानी	31/01/2010

4	——'''——	38	तरच जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		बजाग	31/01/2010
5	——'''——	13	लबेदा जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		बजाग	31/01/2010
6	——'''——	22	ग्वारा जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		करंजिया	31/01/2010
7	——'''——	9	लालपुर जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		करंजिया	31/01/2010
8	——'''——	17	मोहदा जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		समनापुर	31/01/2010
9	——'''——	21	पड़रिया जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		समनापुर	31/01/2010
10	——'''——	14	अमरपुर जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		अमरपुर	31/01/2010
11	——'''——	11	देवरी जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		शहपुरा	31/01/2010
12	——'''——	19	बस्तरा जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		शहपुरा	31/01/2010
13	——'''——	13	संग्रामपुर जलाशय	नहर सुद्रढ़ीकरण कार्य		शहपुरा	31/01/2010
	dqy ;ksx &	**254**		&	&	&	&
¼2½ ck/k dk {kerk of)dj.k dk;Z							
1	जल सरक्षण एवं क्षमता वृद्धिकरण कार्य	32	बरगांव जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		समनापुर	31/03/2010
2	——'''——	28	भाजीटोला एनीकट	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		समनापुर	31/03/2010
3	——'''——	37	तरच एनीकट	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		बजाग	31/03/2010
4	——'''——	19	गीधा जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		बजाग	31/03/2010
5	——'''——	17	करनईनाला एनीकट	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		करंजिया	31/03/2010
6	——'''——	21	फतेहपुर जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		मेहदवानी	31/03/2010
7	——'''——	13	बहेरा जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	अमरपुर	31/03/2010
8	——'''——	18	अमरपुर जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		अमरपुर	31/03/2010
9	——'''——	27	लाखो जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		डिण्डौरी	31/03/2010
10	——'''——	32	सारसताल जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		डिण्डौरी	31/03/2010
11	——'''——	13	लाखो एनीकट	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		डिण्डौरी	31/03/2010
12	——'''——	18	डांडविदयपुर एनीकट	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		डिण्डौरी	31/03/2010
13	——'''——	24	कुटदर जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		शहपुरा	31/03/2010
14	——'''——	22	कौड़िया जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		शहपुरा	31/03/2010
15	——'''——	19	उमरिया जलाशय	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		शहपुरा	31/03/2010
16	——'''——	23	संग्रामपुर एनीकट	क्षमता वृद्धिकरण कार्य		शहपुरा	31/03/2010
	dqy ;ksx &	**363**		&	&	&	&
¼3½ flYV lQkbZ@xgjhdj.k dk;Z							

1	जल संवर्धन एवं सुद्रढ़ीकरण कार्य	11	जमुनिया एनीकट	सिल्ट सफाई गहरीकरण	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	डिण्डौरी	15/07/2010
2	——‘‘‘——	16	डांडविदयपुर एनीकट	सिल्ट सफाई गहरीकरण		डिण्डौरी	15/07/2010
3	——‘‘‘——	13	रहंगी जलाशय	सिल्ट सफाई गहरीकरण		शहपुरा	15/07/2010
4	——‘‘‘——	21	दलकाबंधा जलाशय	सिल्ट सफाई गहरीकरण		शहपुरा	15/07/2010
5	——‘‘‘——	18	धनगांव जलाशय	सिल्ट सफाई गहरीकरण		शहपुरा	15/07/2010
	dqy ;ksx &	**79**		&	&	&	&
¼4½ ck/k dk iqu:)kj dk;Z							
1	बांध पुनरूद्धार एवं जल क्षमता वृद्धिकरण कार्य	17	सुनियामार जलाशय	बांध पुनरूद्धार कार्य	——‘‘‘——	बजाग	31/03/2010
2	——‘‘‘——	21	मोहदा जलाशय	बांध पुनरूद्धार कार्य	——‘‘‘——	समनापुर	31/03/2010
3	——‘‘‘——	-	डिण्डौरी जलाशय	बांध पुनरूद्धार कार्य	——‘‘‘——	डिण्डौरी	31/03/2010
4	——‘‘‘——	19	दल्काबंदा जलाशय	बांध पुनरूद्धार कार्य	——‘‘‘——	शहपुरा	31/03/2010
	;ksx&	**57**	&	&	&	&	&
¼5½ ck/k dk ty}kj@LVQky dk iqufuekZ.k dk;Z							
1	शूटफाल पुनर्निर्माण एवं जल क्षमता वृद्धिकरण कार्य	13	ढोढ जलाशय	शूटफाल पुनर्निर्माण	——‘‘‘——	बजाग	30/06/2010
2	——‘‘‘——	28	नेवसा जलाशय	जलद्वार पुनर्निर्माण	——‘‘‘——	समनापुर	30/06/2010
3	——‘‘‘——	36	पड़रिया जलाशय	शूटफाल पुनर्निर्माण	——‘‘‘——	शहपुरा	30/06/2010
	;ksx&	**77**	&	&	&	&	&
¼6½ ugj iDdhdj.k dk;Z ¼duky ykbfuax½							
1	नहर पक्कीकरण एवं सिंचाई कार्य	51	लमानटोला जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	डिण्डौरी	30/06/2010
2	——‘‘‘——	82	सारसताल जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—“—	30/06/2010
3	——‘‘‘——	48	टिकरा जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—“—	30/06/2010

4	——‘‘‘——	33	धुर्रा जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
5	——‘‘‘——	26	जमुनिया एनीकट	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
6	——‘‘‘——	15	लाखो एनीकट	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
7	——‘‘‘——	125	डांडविदेपुर एनीकट	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
	;kx &	**380**	&	&		&	&
1	नहर पक्कीकरण एवं सिंचाई कार्य	75	अमरपुर जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		अमरपुर	30/06/2010
2	——‘‘‘——	63	बहेरा जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		अमरपुर	30/06/2010
	;kx &	**138**	&	&		&	&
1	नहर पक्कीकरण एवं सिंचाई कार्य	105	पड़रिया जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		समनापुर	30/06/2010
2	——‘‘‘——	163	भाजीटोला एनीकट	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
3	——‘‘‘——	29	किकरिया रैग्युलेटर	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
	;kx &	**297**	&	&		&	&
1	नहर पक्कीकरण एवं सिंचाई कार्य	28	फतेहपुर जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		मेंहदवानी	30/06/2010
2	——‘‘‘——	18	खजरीटोला जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
	;kx &	**46**	&	&		&	&
1	नहर पक्कीकरण एवं सिंचाई कार्य	61	सुरसाटोलाजलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		बजाग	30/06/2010
2	——‘‘‘——	29	गीधा जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
3	——‘‘‘——	42	सुनियामार जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
4	——‘‘‘——	119	तरच एनीकट	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
5	——‘‘‘——	64	बोंदर नाला एनीकट	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
6	——‘‘‘——	82	लबेंदा एनीकट	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
	;kx &	**397**	&	&	&	&	&
1	नहर पक्कीकरण एवं सिंचाई कार्य	55	रामनगर जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	करंजिया	30/06/2010
2	——‘‘‘——	29	करनई नाला एनीकट	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
	;kx &	**84**	&	&		&	&

1	नहर पक्कीकरण एवं सिंचाई कार्य	125	चौरा जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		'शहपुरा	30/06/2010
2	——'''——	128	पड़रिया जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
3	——'''——	56	टिकरिया जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
4	——'''——	48	सरई जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
5	——'''——	45	बस्तरा जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
6	——'''——	28	'धनगांव जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
7	——'''——	11	कोहानी देवरी जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
8	——'''——	38	कोंड़िया जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
9	——'''——	51	देवरी जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
10	——'''——	106	दल्काबंदा जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
11	——'''——	21	उमरिया जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
12	——'''——	46	कुटदर जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
13	——'''——	63	डोभी जलाशय	नहर पक्कीकरण कार्य		—''—	30/06/2010
	;kx &	**766**	&	&		&	&
	dqy ;kx &	**2108**	&	&		&	&
¼**7**½ ckjg eklh unh ukyk ij J[ykc) LVkiMe fuekZ.k							
1	जल संरक्षण,निस्तार एवं सिंचाई	1750	कुल कार्य 50	स्टापडेम निर्माण	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	&	15/07/2010
	;kx &	**1750**	&	&		&	&
	egk;kx &	**7861**	&	&		&	&

vkthfodk fodkl

केन्द्र शासन व राज्य शासन द्वारा ग्रामीण विकास हेतु कई योजना का संचालन किया जा रहा है जिनके माध्यम से ग्रामीण अंचलों में निवासरत जनसंख्या के जीवन स्तर के सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रायः इन योजनाओं से होने वाले लाभ सीमित होते तथा एक निश्चित अवधि के ही होते हैं। ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवारों की सामाजिक स्थिति बहुत हद तक उनकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर होती है। अतः ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर के सुधार के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीणों के आजीविका के स्त्रोतों को सुदृढ किया जाये ताकि उनका विकास किसी शासकीय योजनाओं पर सीधा निर्भर न रहकर स्वतंत्र रूप से जिसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध संसाधनों तथा स्थानीय क्षमता को ध्यान में रखते हुये आजीविका के स्त्रोत विकसित किये जायें। तथा पूर्व से ही स्थापित आजीविका के साधनों को बाजार से जोड़कर स्थानीय उत्पादों को अच्छी दरों पर विक्रय किया जाये।

जिले में कृषि, वानिकी, पारंपरिक हथकरघा, हस्तशिल्प का बाजार है जिसे राष्ट्रीय स्तर के बाजार से जोडकर डिण्डौरी जिले की लघु वनोपज जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, लाख, चिरौंजी, माहुल पत्ता आदि के बेहतर विपणन एवं उपयुक्त बाजार से जोडने से संग्राहकों एवं ग्रामीणों को शोषण से तथा दलालों से बचाया जा सकेगा एवं उन्हें अपनी उपज तथा उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा। डिण्डौरी जिले का चूंकि एक तिहाई से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन भूमि अंतर्गत आता है इसलिए बहुतायत संख्या में गरीब परिवार लघु वनोपज संग्रहण करते हैं। चूंकि इन सभी वनोपज की time value अधिक होती है अतः कन्वर्जेन्स प्लान के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि संग्रहणकर्ता को इन सभी उत्पादों का उचित मूल्य मिले जिससे distress selling पर रोक लग सके। डिण्डौरी जिले में प्रमुख कृषि, लघु वनोपज, हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पाद की सुनिश्चित विपणन व्यवस्था नही हैं जिसके कारण इन उत्पादों को वह मूल्य नही मिल पाता है जिनके ये हकदार हैं। अतः कन्वर्जेन्स प्लान के अंतर्गत **mfpr eY;** के सिध्दांत से अलग **gdnkj eY;** के आधार पर रणनीति तैयार की गयी है। डिण्डौरी जिले के समस्त विकासखण्डों में पूर्व से कार्यरत स्व सहायता समूहों को एकत्रित कर डिण्डौरी जिले का एक सहकारिता संघ बनाया जा रहा है जो डिण्डौरी जिले के समस्त उत्पादों को हकदार मूल्य (जो कि प्रचलित बाजार दर से अधिक होगा) के आधार पर क्रय कर सीधा लाभ कृषकों, लघु वनोपज संग्रहकर्ता एवं हस्तशिल्पियों को प्रदाय करेगा।

डिण्डोरी जिले के गरीब, भूमिहीन एवं आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की रिसोर्स मेंपिंग (Resource Mapping) कर सुनिश्चित आजीविका assured source of livelihood) ;उपार्जन हेतु विभिन्न गतिविधियो का चिन्हांकन किया गया तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे हुये व्यक्ति/परिवारों का कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण कर इन गतिविधियों से जोडने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्य योजना का एक अहम पहलु स्वरोजगारियों को निश्चित एवं स्थापित बाजार से जोड़ना है ताकि इनको सुनिश्चित आय का साधन मिल सकें। यह कार्य पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जायेगा जिसमें रिसोर्स एन.जी.ओ. स्वरोजगारियों को विभिन्न गतिविधियों का कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण प्रदाय कर उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का शत्प्रतिशत बॉयबेक भी करेगा।

xfrfof/k

- पोल्ट्री
- हथकरघा
- लाख
- मशरूम
- अगरबत्ती
- मत्स्य
- दोना पत्तल
- बकरी पालन
- सेवा क्षेत्र
- शहद

Resource NGO
के माध्यम से
buy back

;kstuk@foHkkx

SGSY

BRGF

NREGA

MPRLP

ITDP

SCA

FISHIRIES

FOREST

dUotZl Iyku vrxr vkthfodk {k= dk j[kkfp=

e|xhikyu

मुर्गीपालन गतिविधि डिण्डौरी जिले में परंपरागत रूप से ग्रामीणों द्वारा की जा रही है किन्तु इसे आज तक नियमित आय मूलक गतिविधि के रूप में विकसित नही किया जा सका वर्तमान में विगत दो वर्षों से आजीविका परियोजना द्वारा प्रदान संस्था के सहयोग से रानी दुर्गावती मुर्गीपालक सहकारिता समिति की स्थापना की गई। वर्तमान में 76 उत्पादक इस गतिविधि से जुडकर निरंतर लाभार्जन कर रहे हैं। सहकारिता समिति के आधार पर मुर्गीपालन से हो रहे आर्थिक लाभ को देखते हुये व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु अधिक से अधिक ग्रामीणों को जोड़े जाने हेतु प्रयास प्रारंभ किये गये है।

e|xhikyu xfrfof/k dh vkfFkZdh

- शेड निर्माण लागत (अनावर्ती व्यय) रू. 35,000.00
- उपकरण लागत (अनावर्ती व्यय) रू. 2,500.00
- प्रषिक्षण भ्रमण एवं कंटीनजेंसी व्यय (अनावर्ती व्यय) रू. 1,500.00
- कार्यषील पूंजी रू.21,000.00
- ;ksx :- 60]000-00

xfrfof/k ls ykHk

को–ऑपरेटिव पोल्ट्री फॉरमिंग को अपनाने से प्रति हितग्राही प्रति बेच समस्त व्ययों को काटकर राषि रूपये 1500–2000 की आय होगी एवं एक वर्ष में आठ बेच ली जा सकती है। इस प्रकार प्रति वर्ष औसतन राषि रूपये 16,000/– शुद्ध आय प्राप्त होगी।

- ikYVªh 'kM fuekZ.k ¼**SGSY MPRLP**½
- dk;Z'khy iwath ¼**MPRLP,** cSad ls foRr

eqxhZikyd mRiknd

- jkuh nqxkZorh eqxhZikyd l?k }kjk pwts iznk;
- l?k }kjk nokbZ;ka ,oa rduhdh ekxZn'kZu
- eqxhZikydksa ls cka;cSd vuqca/k

eqxhZikyu xfrfof/k dk iokg fp=

dk;l;kt uk

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग / योजना / मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पोल्ट्री	श्री रेवेन्द्र येडे म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना	1. पोल्ट्री शैड निर्माण हेतु 22000/– की राशि एमपीआरएलपी से तथा 15000/– की राशि एसजीएसवाय अधोसंरचना मद से वहन की जावेगी।	100	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	15.00	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	संलग्नक–1 अनुसार	1. 15.09.09 तक चिन्हांकन। 2. शेड निर्माण हेतु राशि जारी करना 25.9.09	
					म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना	22.00	म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना			
			2. कार्यशील पूंजी हेतु 22000/– प्रति हितग्राही	100	हितग्राही अंशदान प्रति हितग्राही रू. 3000	3.00			1. बैंक में प्रकरण प्रस्तुत करना 25.9.09 2. बैंक द्वारा प्रकरण स्वीकृति एवं वितरण 15.10.09	
					बैंक द्वारा वित्त पोषणरू. 20000 प्रति हितग्राही	20.00				
			3. हितग्राही एवं रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारिता समिति डिण्डौरी से अनुबंध निष्पादन	100			एमपीआरएलपी		20.9.09	बाय बैक रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारिता समिति डिण्डौरी द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

gFkdj?kk

डिण्डौरी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा आधारित गतिविधि पारंपरिक कला एक स्थाई आजीविका प्रदान करती है। हथकरघा के द्वारा कई भूमिहीन परिवारों को जोडकर उनके आजीविका के साधन सुनिश्चित किये जा सकते हैं। डिण्डौरी जिले के 8 ग्रामों में बडी संख्या में परम्परागत बुनकर परिवार निवास करते हैं। परन्तु बदलते परिवेश तथा पुरानी तकनीक के कारण वर्तमान में डिण्डौरी जिले में हथकरघा विकास हेतु क्रांतिकारी बदलाव लाना नितांत आवश्यक है। परम्परागत बुनकरों का कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण देकर उन्नत लूम प्रदाय करना, कच्चे माल की गुणवत्ता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करना एवं बाजार की मांग एवं प्रतिस्पर्धा के अनुरूप नवीन डिजाइन के उत्पाद तैयार कर हथकरघा क्षेत्र में बदलाव के रणनीति के अहम पहलू हैं। चूंकि यह गतिविधि परिवार आधारित है इसलिए हथकरघा क्षेत्र का सबसे बडा लाभ यह है कि इसे पूर्ण कालिक आजीविका के साधन के रूप में विकसित किया जा सकता है।

mn~ns'; &

- परम्परागत बुनकरों का कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण।
- उन्नत लूम व तकनीक प्रदाय करना।
- बायबैक व्यवस्था लागू कर बाजार की मांग पर आधारित उत्पाद तैयार करना।

आर्थिकी –

प्रति हैण्डलूम स्थापित करने पर रू0 47650.00 का व्यय होगा। जिससे प्रति व्यक्ति द्वारा हैण्डलूम से विभिन्न उत्पाद (चादर, गमछा, दरी,) तैयार कर उत्पाद के आधार पर रू. 120 से 200 तक प्रतिदिन आय अर्जित कर सकता है।

- mUur ywe iznk; djuk ¼SGSY+BRGF½
- dPpk eky iznk; ¼SGSY+MPRLP½
- ;kuh fMiks dh LFkkiuk ¼chvkjthQ ,oa cSd ls foRr iks"k.k½

fgrxzkgh

- fjlkslZ ,uthvks

  }kjk dks'ky

  mUu;u o ifj'k{k.k

- 'kr izfr'kr ck;cSd

gFkdj?kk xfrfof/k dk izokg fp=

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य	वित्तीय संसाधन			समय सीमा	रिमार्क

dUotsZUl ls fodkl

			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)	क्रियान्वयन एजेंसी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हथकरघा	श्री चंद्रशेखरसिंह परियोजना अधिकारी जिला पंचायत	1. हितग्राहियों का लूम प्रदाय करना एवं कार्यशील पूंजी (एमपीआरएलपी)	40	एमपीआरएलपी रू. 13000 प्रति हितग्राही	5.20	एमपीआरएलपी	संलग्नक–2 अनुसार	1. हितग्राहियों का चयन 30.9.09 तक 2. बैंक में प्रकरण प्रस्तुत करना 30.9.09	
		श्री नायडू एसएमएस एमपीआरएलपी			राशि रू. 25000/ प्रति हितग्राही बैंक ऋण	10.00	एमपीआरएलपी		बैंक द्वारा प्रकरण स्वीकृति एवं वितरण 15.10.2009	
					राशि रू. 10000/ प्रति हितग्राही एसजीएसवाय अनुदान	4.00	एमपीआरएलपी		राशि जारी करना 15.10.09	
		श्री के.एस. परस्ते, सहायक विकास विस्तार अधिकारी ज.पं. बजाग,	2. हितग्राहियों का लूम प्रदाय करना एवं कार्यशील पूंजी (जिला पंचायत)	60	बीआरजीएफ मद से राशि रू. 13000 प्रति हितग्राही	7.80	जिला पंचायत		1. हितग्राहियों का चयन 30.9.09 तक 2. बैंक में प्रकरण प्रस्तुत करना 30.9.09	
		श्री टी.एस. धूमकेती विकास विस्तार अधिकारी ज.पं. डिण्डौरी			राशि रू. 25000/ प्रति हितग्राही बैंक ऋण	15.00	जिला पंचायत		बैंक द्वारा प्रकरण स्वीकृति एवं वितरण 15.10.2009	
					राशि रू. 10000/ प्रति हितग्राही एसजीएसवाय अनुदान	6.00	एमपीआरएलपी		राशि जारी करना 15.10.09	
			3. यार्न डिपो स्थापना ग्राम पिडरूखी ज.पं. बजाग राशि रू. 9.59 लाख	1	बीआरजीएफ	4.59	जिला पंचायत		20.9..2009 तक	यार्न डिपो का संचालन प्राजीव संस्था द्वारा पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप मॉडल में किया जावेगा। जिसमें कच्चा माल प्रदाय, डाटाबेश संधारण एवं बाय बैक की जबाबदारी संस्था की होगी
					बुनकर क्रेडिट कार्ड पर बैंक ऋण से	3.00	बैंक ऋण जिला पंचायत एवं एमपीआरएलपी		20.9..2009 तक	
					प्राजीव संस्था	2.00	स्वयं के मद से		30.10.2009 तक	

भारत में लाख उत्पादन में मध्यप्रदेश का दूसरा स्थान है। डिण्डौरी जिले में लाख उत्पादन की अच्छी संभावनाएं है क्योंकि इसके परपोषी पौधे जैसे कोसम, पलाष एवं बेर जिले में बहुतायत में उपलब्ध है। भूमिहीन परिवारों के लिए लाख उत्पादन एक अच्छी आय मूलक गतिविधि हो सकती है। भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर इस गतिविधि से जोडा जाएगा जिसकी क्रियान्वयन एजेंसी क्षेत्रानुसार ग्रामीण आजीविका परियोजना और जिला पंचायत होंगी।

xfrfof/k dh vkfFkZdh

- बीहन लाख एवं किट की लागत प्रति हितग्राही रू. 1340.00
- प्रषिक्षण लागत रू. 135.00
- *;kx jkf'k :- 1475-00*

xfrfof/k l gkus okyk ykHk& dUo tUl Iyku vrxr प्रति हितग्राही को पलाश के 20 पौधे आवंटित किये जायेगें। प्रति पौधा औसत 5 किलो लाख उत्पादन की दर से 100 किलो लाख उत्पादन होगा। चूंकि लाख की फसल वर्ष में दो बार ली जाती है इसलिए कुल उत्पादन लगभग 200 किलो होगा। लाख का प्रचलित बाजार मूल्य रू. 75/– प्रति किलो की दर से बेचने पर प्रति भूमिहीन परिवार को रूपये 15000/– की षुद्ध आय प्राप्त होगी।

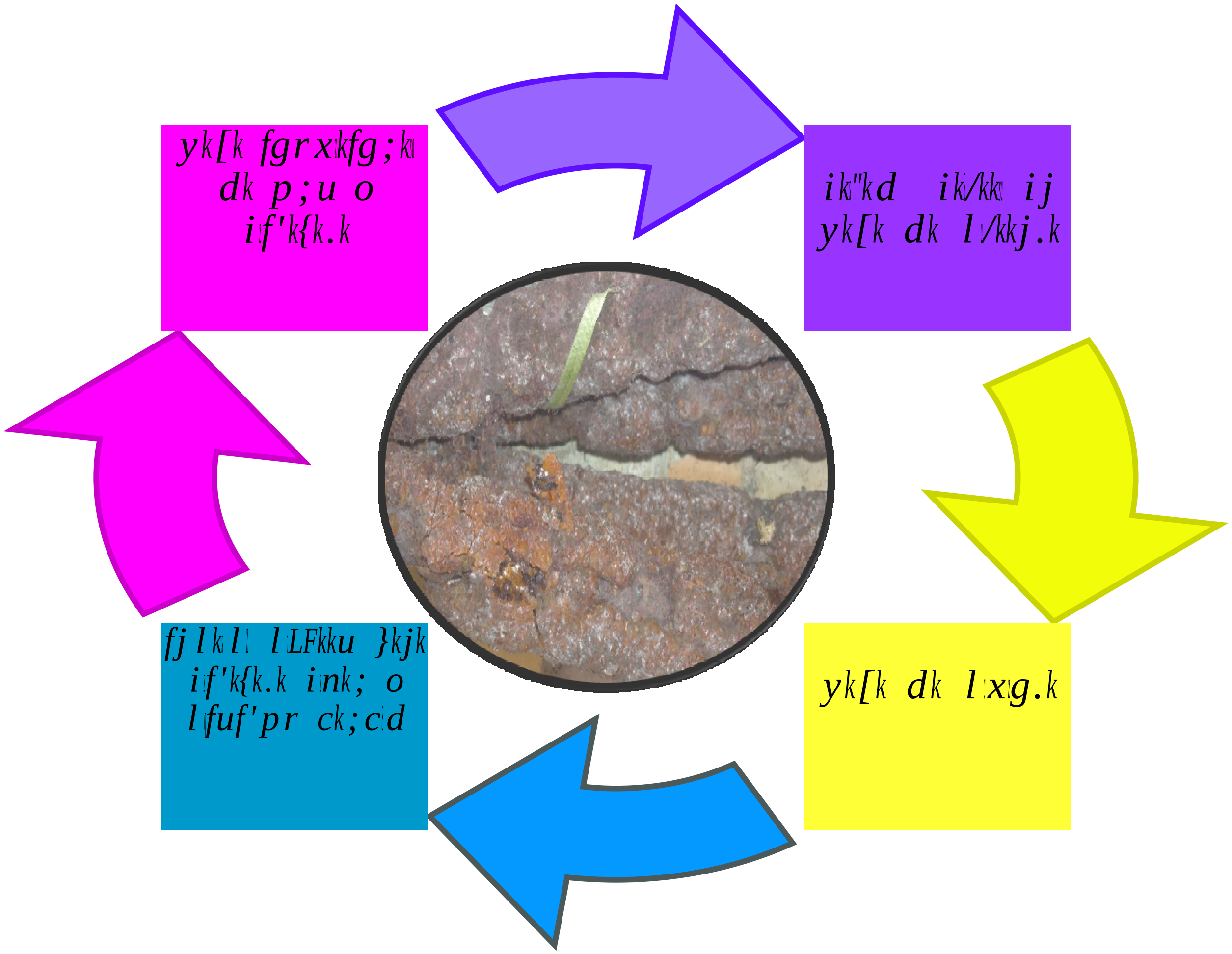

yk[k xfrfof/k dk iokg fp=

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग / योजना / मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लाख उत्पादन	श्री भगत एमपीआरएलपी	1. भूमिहीन परिवारों को लाख उत्पादन से जोड़ना।	1136	एमपीआरएलपी–416		एमपीआरएलपी	संलग्नक – 3 के अनुसार	15.09.09 तक चिन्हांकन।	
		श्री यशवंत सोनवानी तेजस्वनी शहपुरा			जिला पंचायत – 720		जिला पंचायत		15.09.09 तक चिन्हांकन।	
		श्री बी.एस कुशराम, सहायक विकास विस्तार अधिकारी ज.पं. शहपुरा	2. लाख कीट संचरण हेतु हितग्राहीवार ग्रामवार पौधों का चिन्हांकन एवं टेगिंग	1136			एमपीआरएलपी एवं प्राजीव		10.10.2009	प्रमुख सचिव वन – राजस्व– ग्रामीण विकास का सयुंक्त हस्ताक्षरित पत्र जिसमें भूमिहीन हितग्राहियों को वन क्षेत्र के भी पलाश के वृक्ष वाले छोटे बडे झाड के जंगल अथवा राजस्व की भूमि पट्टे पर दी जा सकती है।
			3. चिन्हित हितग्राहियों का प्रशिक्षण		एमपीआरएलपी – 416	0.83	एमपीआरएलपी		30.10.09 तक प्रशिक्षण	रिसोर्स एजेंसी प्राजीव द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय एवं हितग्राही के साथ बाय बैक अनुबंध
					जिला पंचायत – 720	1.44	प्राजीव संस्था		30.10.09 तक प्रशिक्षण	
			4. लाख किट प्रदाय करना।	1136	एमपीआरएलपी–416	5.57	एमपीआरएलपी एवं प्राजीव		30.10.09 तक प्रशिक्षण	
					जिला पंचायत–720	15.22	जिला पंचायत एवं प्राजीव		30.10.09 तक प्रशिक्षण	

e'k:e &

डिण्डौरी जिले की जलवायु एवं तापमान मशरूम उत्पादन हेतु उपयुक्त है। मशरूम से जहां एक ओर अधिक कैलोरी, प्रोटीन एवं विटामिन प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर स्व–सहायता समूहों को स्थानीय बाजार उपलब्ध हो जाने से अधिक आय प्राप्त होगी। मशरूम को प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बच्चों को मध्यान्ह भोजन के रूप में सप्ताह में दो दिवस सब्जी के रूप में दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

fØ;kUo;u j.kuhfr

भूमिहीन परिवारों को तकनीकी ज्ञान प्रदान कर राशि बैंक के माध्यम से प्रदाय की जावेगी। मशरूम की फसल 45 दिन में प्राप्त होगी इस प्रकार वर्ष में 7 फसल चक्र के माध्यम से अमन विकास समिति घंसौर के द्वारा बायबैक किया जावेगा।

vkfFkdh

मशरूम उत्पादन हेतु मशरूम हट के लिए रूपये 25000/– तथा कार्यशील पूंजी हेतु रू0 7150/– प्रति फसल चक्र के मान से 3 फसल चक्र हेतु रूपये 21450/– की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल परियोजना लागत प्रति व्यक्ति रू0 46450/– होगी। प्रति हितग्राही लगभग 250 किग्रा मशरूम का उत्पादन एक फसल चक्र में होगा। जिसकी विक्रय से आय रूपये 10000/– होगी। इस प्रकार प्रति हितग्राही मासिक लगभग 3000/– की शुद्ध आय होगी।

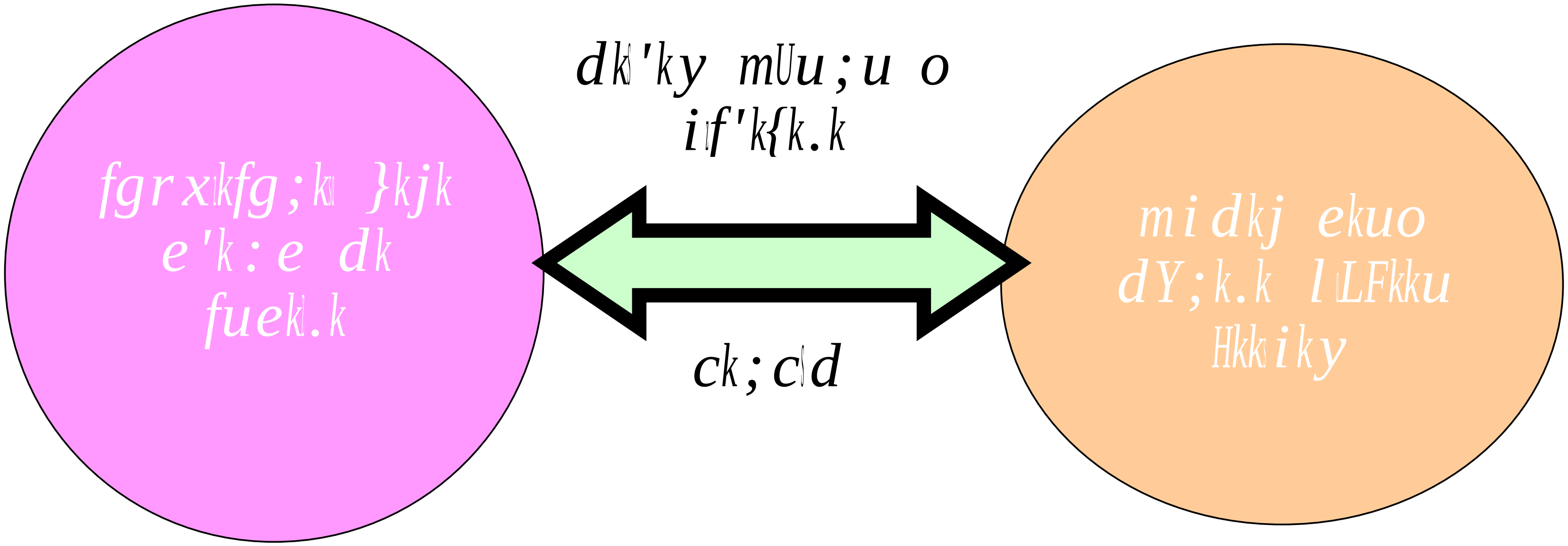

e'k:e xfrfof/k dk izokg fp=

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग / योजना / मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मशरूम	1. श्री जे.के शुक्ला सहायक विकास विस्तार अधिकारी ज.पं करंजिया	1. हितग्राहियों को मशरूम उत्पादन हेतु मशरूम हट प्रदाय करना।	50	एजीएसवाय जिला पंचायत	12.50	जिला पंचायत एवं अमन विकास समिति	बजाग, करंजिया	1. 15.09.09 तक चिन्हांकन। 2. 25.9.09 तक राशि जारी	
		2. श्री पीडी पारस सहायक विकास विस्तार अधिकारी ज.पं बजाग	2. प्रशिक्षण	50	एसजीएसवाय जिला पंचायत	0.25	जिला पंचायत एवं अमन विकास समिति	बजाग, करंजिया	5.10.2009 तक	
		3. श्री किशोरी आथनकर तेजस्वनी गोरखपुर	3. बायबैक के माध्यम से मशरूम उत्पादन करना।				एसजीएसवाय– शेष ग्रामों में एसजीएसवाय (जिला पंचायत)		1. बैंक में प्रकरण प्रस्तुत करना 5.10. 2009 2. स्वीकृति 20.10. 2009	बाय बैक रिसोर्स संस्था अमन विकास समिति घंसौर द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

vxjcRrh fuekZ.k

कन्वर्जेन्स प्लान अंतर्गत भूमिहीन एवं निर्धन परिवारों को पूरक आजीविका हेतु अगरबत्ती निर्माण की गतिविधि से जोडने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत स्वसहायता समूह के सदस्यों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जावेगा।

fØ;kUo;u j.kuhfr&

भूमिहीन एवं अन्य गरीब परिवारों का चिन्हांकन कर अगरबत्ती निर्माण हेतु इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसका व्यय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना से किया जाएगा। इसके उपरांत प्रशिक्षण प्रदाय करने वाले रिसोर्स एनजीओ बायबैक का अनुबंध निष्पादित कर प्रशिक्षण उपरांत निर्मित अगरबत्ती का शतप्रतिशत क्रय करेगा।

xfrfof/k ls gksus okyh vk; &

प्रशिक्षण उपरांत प्रति परिवार प्रतिदिन औसतन 6 घंटे कार्य कर 10 किग्रा अगरबत्ती बना सकता है। इस प्रकार माह में कुल 250 से 300 किग्रा अगरबत्ती निर्मित होगी। रिसोर्स एनजीओ के अनुबंध अनुसार 25 से 35 रूपये प्रतिकिलो की दर पर क्रय किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक परिवार को औसतन 8250/– रू. प्रतिमाह आय होगी। कच्चे माल की कीमत 16/– रूपये प्रतिकिलो की दर से 4400/– रूपये होगी। इस प्रकार प्रति परिवार प्रति माह शुद्ध लाभ रू. 3850/– रूपये होगा।

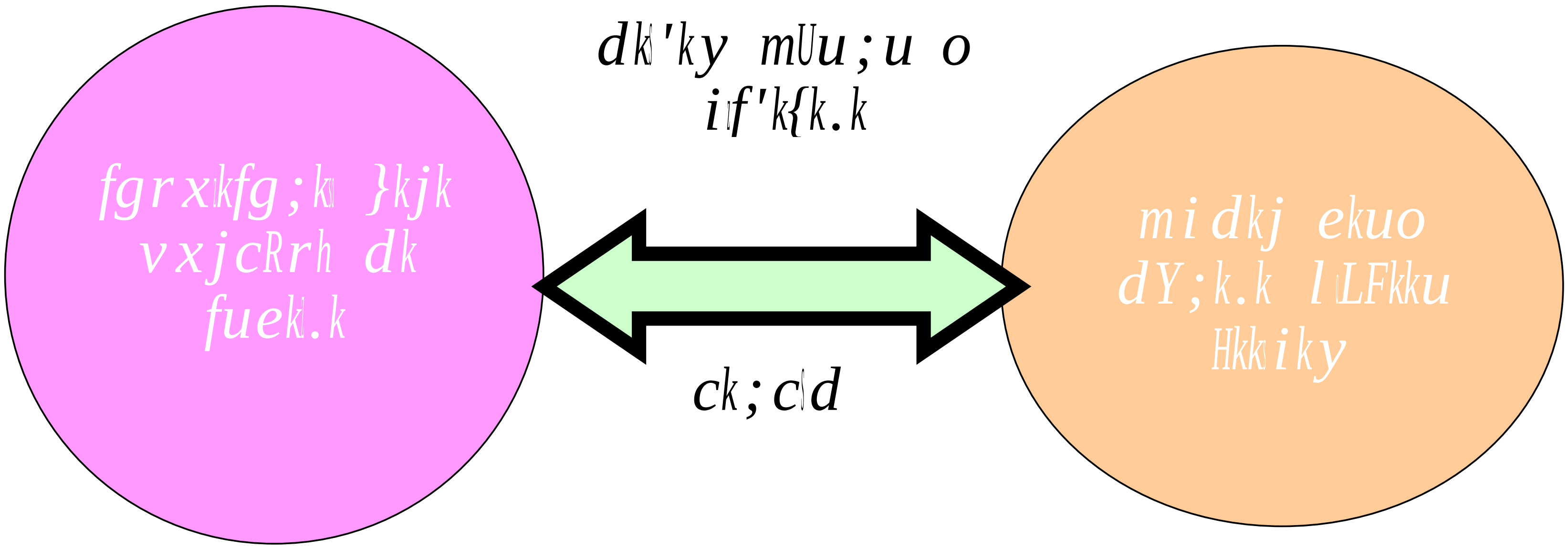
dk'ky mUu;u o
if'k{k.k
fgrxkfg;k }kjk
vxjcRrh dk
fuek.k
ck;cd
mi dkj ekuo
dY;k.k lLFkku
Hkkiky

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अगरबत्ती	श्री नायडू एसएमएस एमपीआरएलपी	1. भूमिहीन परिवारों को अगरबत्ती निर्माण से जोड़ना।	1000	एमपीआरएलपी – 210		एमपीआरएलपी	अनुलग्लक – 5 अनुसार	15.09.09 तक चिन्हांकन।	
		श्री एम एल धुर्वे सहायक विकास विस्तार अधिकारी ज.पं समनापुर			जिला पंचायत – 790		जिला पंचायत एवं उपकार मानव		15.09.09 तक चिन्हांकन।	
		श्री अमित सिंह तेजस्वनी समनापुर	2. प्रशिक्षण	1000	एमपीआरएलपी – 210	0.50	एमपीआरएलपी		15.10.2009 तक	
					जिला पंचायत – 790	1.50	जिला पंचायत एवं उपकार मानव		15.10.2009 तक	
			3. अगरबत्ती निर्माण हेतु कार्यशील पूंजी प्रदाय करना।	1000	एमपीआरएलपी – 210	4.20	एमपीआरएलपी		15.10.2009 तक	
					जिला पंचायत – 790	15.80	जिला पंचायत बैंक के माध्यम से		1. 15.10.09 तक बैंक में प्रकरण प्रस्तुत करना 2. 30.10.09 तक स्वीकृति एवं वितरण	रिसोर्स उपकार मानव कल्याण संस्था भोपाल द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय एवं हितग्राही के साथ बाय बैक अनुबंध
			4. बायबैक	1000	एमपीआरएलपी – 210				15.11.2009 से बाय बैक	
					जिला पंचायत – 790				15.11.2009 से बाय बैक	

eNyh ikyu

जिले में वर्तमान में निर्मित तालाबों में मत्स्य पालन कार्य करने से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा एवं तालाब का पानी भी स्वच्छ रहेगा, क्योंकि मछली तालाब की गंदगी को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करती है। इस प्रकार के तालाबों से प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 2000 से 3000 किलो तक मछली का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

j.kuhfr &

1. लघु एवं सीमांत कृषकों की भूमि पर एनआरईजीए की मीनाक्षी उपयोजनांतर्गत मछली तालाब निर्माण।
2. चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदाय कर मत्स्य पालन विभाग एवं स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनांतर्गत बीज एवं अन्य उपकरण प्रदाय करना।

xfrfof/k ls gksus okyh vk;

एक एकड के मछली तालाब में एक वर्ष में 800 किग्रा मत्स्य उत्पादन होता है। बाजार की प्रचलित दर रूपये 60/- प्रतिकिलो के मान से कुल रूपये 48,000/- की वार्षिक आय होगी। जिसमें से उत्पादन लागत रूपये 10,000/- प्रतिवर्ष घटाने के उपरांत रूपये 38,000/- शुद्ध लाभ प्राप्त होगा।

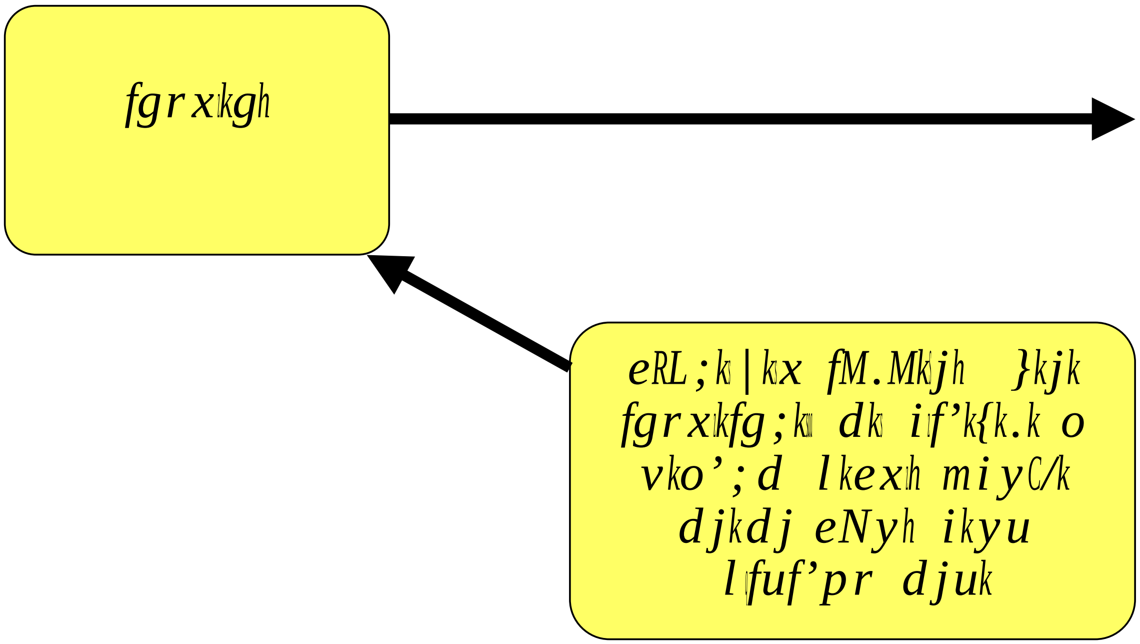

dUotsUl Iyku dk j[kkfp=

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य	वित्तीय संसाधन	क्रियान्वयन	भौगोलिक	समय सीमा	रिमार्क

dUotsUl ls fodkl

			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग / योजना / मद	राशि (लाख में)	एजेंसी	क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्य पालन	1. श्री एन.के भगत एमपीआरएलपी 2. श्री गजभिये सहायक संचालक मत्स्य डिण्डौरी	1. हितग्राही का चयन	58	एमपीआरएलपी		एमपीआरएलपी	अनुलग्लक – 6 अनुसार	हितग्राहियों का चयन किया जा चुका है।	
			2. मछली तालाब का निर्माण	58	जिला पंचायत (एनआरईजीए)	174.00	एमपीआरएलपी		अप्रैल 2010 तक	
			3. हितग्राही प्रशिक्षण एवं एक्पोजर भ्रमण	58	एमपीआरएलपी एवं मत्स्य पालन विभाग	2.50	एमपीआरएलपी		मई 2010 तक	
			4. मछली बीज कल्चर प्रदाय	58	एमपीआरएलपी एवं मत्स्य पालन विभाग	17.50	एमपीआरएलपी		जुलाई 2010 तक	

डिण्डौरी जिले में वन क्षेत्र अधिक होने की वजह से यहॉ माहुल पत्ते का संग्रहण लगभग 2000 परिवारो के द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 5000 टन माहुल पत्ता का परिवहन आन्ध्रप्रदेष/उड़ीसा किया जाता है। कच्चे माल के रूप में माहुल पत्ते के विक्रय से संग्रहकर्ता को कम आय होती है। अतः डिण्डौरी जिले में मूल्य संवर्धन कर संग्रहकर्ता को उचित कीमत प्रदाय कर लाभान्वित किया जा सकता है।

fØ;kUo;u j.kuhfr &

कन्वर्जेन्स प्लान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माहुल पत्ता संग्रहकर्ता को कच्चे पत्ते विक्रय का उचित मूल्य प्राप्त हो। जिसके लिए संग्रहकर्ता को ग्राम में ही कार्यरत स्वसहायता समूह को पत्ता विक्रय करना होगा। इसके अलावा अन्य हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदाय कर माहुल पत्ता से विभिन्न प्रकार के दोने (कप) और पत्तल (प्लेट) का निर्माण किया जाएगा। इसके उपरांत प्रशिक्षण प्रदाय करने वाले रिसोर्स एनजीओ बायबैक का अनुबंध निष्पादित कर प्रशिक्षण उपरांत निर्मित दोना–पत्तल का शतप्रतिशत क्रय करेगा।

xfrfof/k ls vk; &

माहुल पत्ता संग्रहण वर्ष 6 माह तक चलता है। स्वसहायता समूह एवं रिसोर्स एनजीओ से निष्पादित अनुबंध अनुसार कच्चा पत्ता संग्रहकर्ता से 10/– प्रतिकिलो की दर से क्रय किया जावेगा। प्रति संग्रहकर्ता प्रतिदिन 10 किलोग्राम पत्ते का संग्रह कर सकता है। इस प्रकार वह माह में 300 किलोग्राम पत्ता संग्रह कर शुद्ध आय रूपये 3000/– प्राप्त कर सकेगा।

माहुल पत्ते से निर्मित दोना एवं पत्तल के विक्रय से 3250/– रू. प्रति व्यक्ति को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

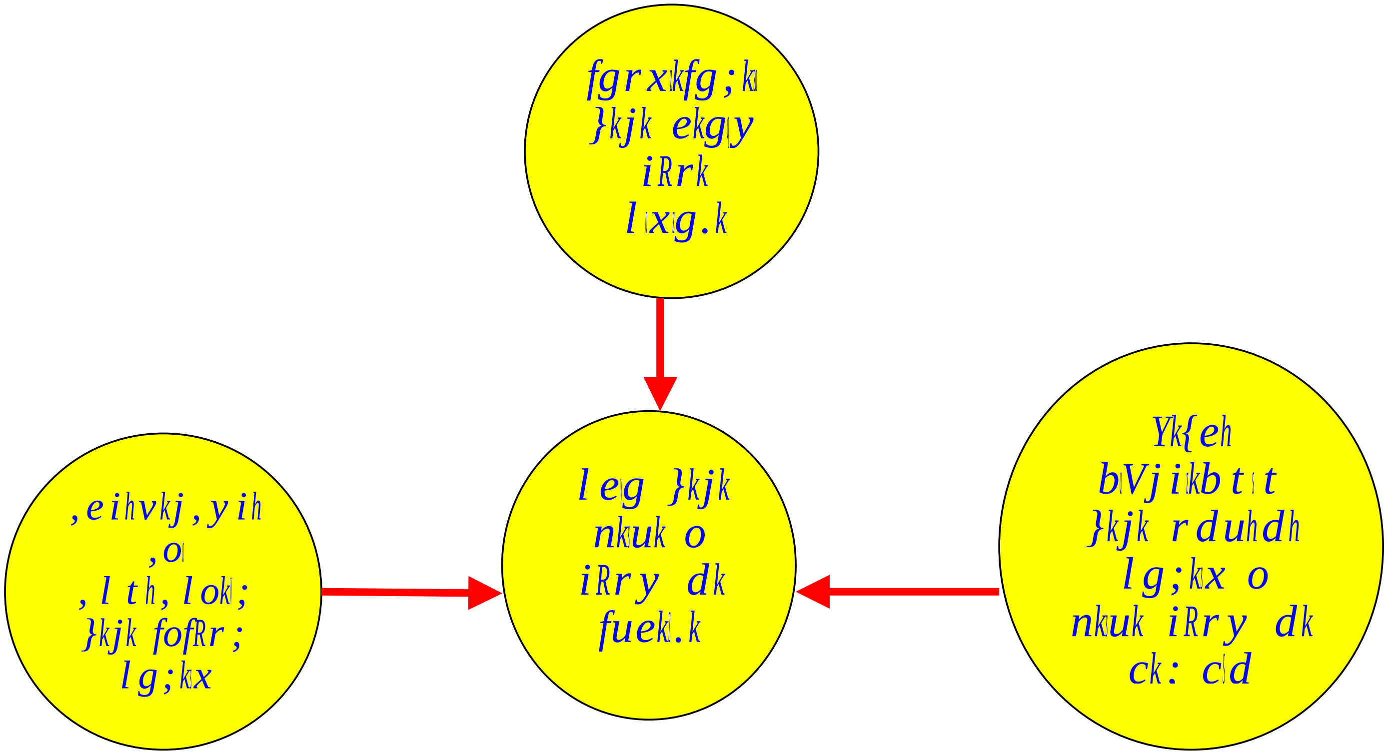

	गतिविधि	नोडल	लक्ष्य	वित्तीय संसाधन	क्रियान्वयन	भौगोलिक	समय सीमा	रिमार्क

dUotZsal ls fodkl

क्र		अधिकारी	गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग / योजना / मद	राशि (लाख में)	एजेंसी	क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दोना–पत्तल	श्री नायडू एसएमएस एमपीआरएलपी	1. भूमिहीन परिवारों को दौना–पत्तल निर्माण गतिविधि से जोड़ना एवं कार्यशील पूंजी को बढ़ाना।	1050	एमपीआरएलपी–310		एमपीआरएलपी	अनुलग्नक–7	हितग्राहियों का चयन 15.9.2009 तक	
		1. वर्षा नामदेव उत्प्रेरक			जिला पंचायत – 740		एसजीएसवाय जिला पंचायत		हितग्राहियों का चयन 15.9.2009 तक	
		2. श्री मुरली उत्प्रेरक	2. हितग्राहियों को प्रशिक्षण	1050	एमपीआरएलपी–310	0.50	एमपीआरएलपी		15.10.2009 तक	
		3. श्री शरद चंद्र मिश्रा तेजस्वनी शाहपुर			जिला पंचायत – 740	1.50	एसजीएसवाय जिला पंचायत		15.10.2009 तक	
			3 .कार्यशील पूंजी का प्रदाय	1050	एमपीआरएलपी–310	37.50	एमपीआरएलपी		15.10.09 तक	
					जिला पंचायत – 740	67.50	जिला पंचायत बैंक के माध्यम से		1. प्रकरण बैंक में प्रस्तुत करना 15.10.09 तक 2. बैंकों से स्वीकृति एवं वितरण 30.10.09	
			4. बायबैक के माध्यम से दौना–पत्तल निर्माण करना।	1050	एमपीआरएलपी–310 जिला पंचायत – 740				अनुबंध निष्पादन 15.10.09 तक मैसर्स लक्ष्मी इंजीनियरिंग	लक्ष्मी इंजीनियरिंग

डिण्डौरी जिले का अधिकांश भाग जंगल एवं पहाडियों से घिरा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से बकरीपालन के माध्यम से हितग्राही अपनी आजीविका परम्परागत रूप से सुनिश्चित कर आ रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन से दूध एवं मांस दोनों का विक्रय कर अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।

fØ;kUo;u j.kuhfr

बकरी पालन व्यवसाय में ग्रामीण आजीविका के माध्यम से प्रति हितग्राही 5 बकरी राशि रूपये 10000/– में प्रदाय किये जायेंगें। जिनका नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से बीमा किया जावेगा। बकरी पालन गतिविधि का क्रियान्वयन वनग्रामों के अंतर्गत नहीं किया जावेगा। इस गतिविधि का जिले में पर्याप्त बाजार उपलब्ध है।

xfrfof/k ls vk; &

इस गतिविधि से हितग्राही वर्ष में रूपये 10000/– से 15000/– तक शुद्ध आय प्राप्त कर सकता है।

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बकरी पालन	श्री भगत एमपीआर एलपी	1 हितग्राही चयन	300	एमपीआरएलपी		एमपीआरएलपी	अनुलग्नक – 8	15.10.2009 तक	
			2. प्रशिक्षण	300	एमपीआरएलपी	3.00	एमपीआरएलपी		30.11.2009 तक	
			2. कार्यशील पूंजी 10000/– प्रति इकाई	300	एमपीआरएलपी	30.00	एमपीआरएलपी		30.11.2009 तक	

lsok {ks= ¼lqj{kk xkMZ½

डिण्डौरी जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहां कोई भी कारखाना न होने के कारण बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है। बेरोजगारों को आवश्यक प्रशिक्षण उपरांत निश्चित मासिक आय दिलाने हेतु सुरक्षा गार्ड के रूप में चयन कर जिले से बाहर विभिन्न कारखानों एवं संस्थानों में पदस्थ कराकर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

fØ;kUo;u j.kuhfr

जिले के बीपीएल एवं हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करने वाले बेरोजगारों का चयन कर उन्हें 15 दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर प्राजीव एजूकेशन सोसायटी सागर के माध्यम से जिले से बाहर विभिन्न संस्थानों में प्लेसमेंट कराया जावेगा।

xfrfof/k ls vk; &

कारखानों एवं संस्थान में प्लेसमेंट के पश्चात सुरक्षा गार्ड को प्रति माह रूपये 4500/— से 5000/— शुद्ध मासिक आय प्राप्त होगी।

क्र	गतिविधि	नोडल	लक्ष्य	वित्तीय संसाधन	क्रियान्वयन	भौगौलिक	समय सीमा	रिमार्क

		अधिकारी	गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)	एजेंसी	क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधि	श्री सी एस सिंह परि. अधि. जि.पं.	1.सिक्यूरिटी गार्ड	50	एसजीएसवाय		जिला पंचायत	अनुलग्न – 9	15.10.09 तक चिन्हांकन।	
			अ. प्रशिक्षण	50	एसजीएसवाय	0.60	जिला पंचायत एवं प्राजीव		30.10.2009 तक	
			ब. प्लेसमेंट	50	एसजीएसवाय		प्राजीव		30.11.2009 तक	प्राजीव संस्था द्वारा प्रशिक्षित गार्डों के प्लेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी

ग्रामीणों को छोटी मोटी दैनिक अवश्यकता की सामग्री क्रय करने हेतु स्थानीय हाट बाजारों में जाना पड़ता है। गांव में ही ग्रामीणों को किराना सामान, सब्जी, कृषि हेतु खाद–बीज, कीटनाशक दवाईयां आदि मिल सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किराना दुकान/एग्री विजनेस सेंटर के माध्यम से बेरोजगार युवकों की आजीविका सुनिश्चित की जावेगी।

fØ;kUo;u j.kuhfr

इस गतिविधि का क्रियान्वयन म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं आदिवासी वित्त निगम के माध्यम से किया जावेगा। इस गतिविधि में भूमिहीन हितग्राहियों को रूपये 25000/– के मान से व्यक्तिगत रूप में सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

xfrfof/k ls vk; &

यह गतिविधि अधिक लाभप्रद है। क्योंकि गांव का प्रायः प्रत्येक परिवार इस गतिविधि से जुड़ा होता है। किराना/एग्री विजनेस सेंटर के माध्यम से हितग्राही को रूपये 2500/– से 3000/– शुद्ध लाभ प्रतिमाह प्राप्त होगा।

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधि	कार्यपालन अधिकारी आदिवासी वित निगम डिण्डौरी	1. किराना दुकान	150	आदिवासी वित्त निगम – 100	25.00	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	एमपीआरएलपी के अलावा अन्य गांव	1. हितग्राहियों का चयन 15.9.2009 तक 2. प्रकरण प्रस्तुत करना 30.9.09 तक 3. प्रकरण स्वीकृति एवं वितरण 15.10.09	
		श्री नायडू एसएमएस एमपीआरएलपी	2. किराना / एग्री विजनेश सेंटर		एमपीआरएलपी – 50	10.00	एमपीआरएलपी		15.10.09 तक	

lsok {ks= ¼efugkjh½

ग्रामीण क्षेत्रों में मनिहारी व्यवसाय की व्यापक संभावनायें हैं। इस गतिविधि से ग्रामीण भूमिहीन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इस गतिविधि के माध्यम से महिलायें अपने गांव के साथ दो से तीन किमी की दूरी के अन्य ग्रामों में जाकर इस व्यवसाय को कर सकती हैं।

fØ;kUo;u j.kuhfr

इस गतिविधि का क्रियान्वयन म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं आदिवासी वित्त निगम के माध्यम से किया जावेगा। इस गतिविधि में भूमिहीन हितग्राहियों को रूपये 20000/- के मान से व्यक्तिगत रूप में सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

xfrfof/k ls vk; &

यह गतिविधि अधिक लाभप्रद है। क्योंकि गांव का प्रायः प्रत्येक महिला का संबंध इस व्यवसाय से होता है। अतः यह व्यवसाय अधिक लाभकारी है। मनिहारी व्यवसाय से प्रति हितग्राही रूपये 2500/- से 3000/- शुद्ध लाभ प्रतिमाह प्राप्त होगा।

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधि	कार्यपालन अधिकारी आदिवासी वित निगम डिण्डौरी	मनिहारी	75	आदिवासी वित्त निगम – 50	12.50	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना		1. हितग्राहियों का चयन 15.9.2009 तक 2. प्रकरण प्रस्तुत करना 30.9.09 तक 3. प्रकरण स्वीकृति एवं वितरण 15.10.09	
		श्री नायडू एसएमएस एमपीआरएलपी			एमपीआरएलपी – 25	5.00	एमपीआरएलपी		15.10.09 तक	

'kgn mRiknu

डिण्डौरी जिले में 37 प्रतिशत वनक्षेत्र हैं। जिसमें मुख्य रूप से साल, साजा, हर्रा, बहेरा, महुआ व अन्य औषधीय पौधे हैं। जिससे वनों में लगभग वर्षभर प्राकृतिक रूप में फूलों की उपलब्धता रहती है। जिस पर मधुमक्खी भोजन के रूप में परागकण इकट्ठा कर शहद तैयार करते हैं। यहां के आदिवासी जंगलों से प्राकृतिक शहद का संग्रहरण कर विक्रय करते हैं। जिससे शहद का उचित मूल्य इन आदिवासियों को प्राप्त नहीं हो पाता। शहद एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जानी जाती है। अतः इसका अत्यधिक बाजार उपलब्ध है।

fØ;kUo;u j.kuhfr

डिण्डौरी जिले के जंगल से लगे हुये ग्राम के लोग पारंपरिक ढंग से शहद का संग्रहण करते हैं। जिससे प्रकृति में मधुमक्खियों के छत्तों में कमी हो रही है। अतः वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षण प्रदाय कर संग्रहकर्ताओं को आवश्यक उपकरण एवं किट उपलब्ध कराकर शहद संग्रहण व प्रसंस्करण समूह बनाकर किया जावेगा। कार्ड संस्था (जो शहद संग्रहण व संस्करण पर करने वाली चिन्हिंत एनजीओ है) के माध्यम से बायबैक कर समूहों को जोडकर उचित मूल्य पर निश्चिय विक्रय व्यवस्था की गई है।

xfrfof/k ls vk; &

इस गतिविधि से संग्रहकर्ता को वर्ष में 6 माह शहद प्राप्त होता है। प्रत्येक संग्रहकर्ता प्रतिमाह 50 से 60 किग्रा शहद का संग्रह करता है। बाजार में प्रचलित दर रूपये 80/– प्रति किग्रा के मान से प्रति हितग्राही रूपये 4000/– से 4800/– तक शुद्ध लाभ प्रतिमाह होगा।

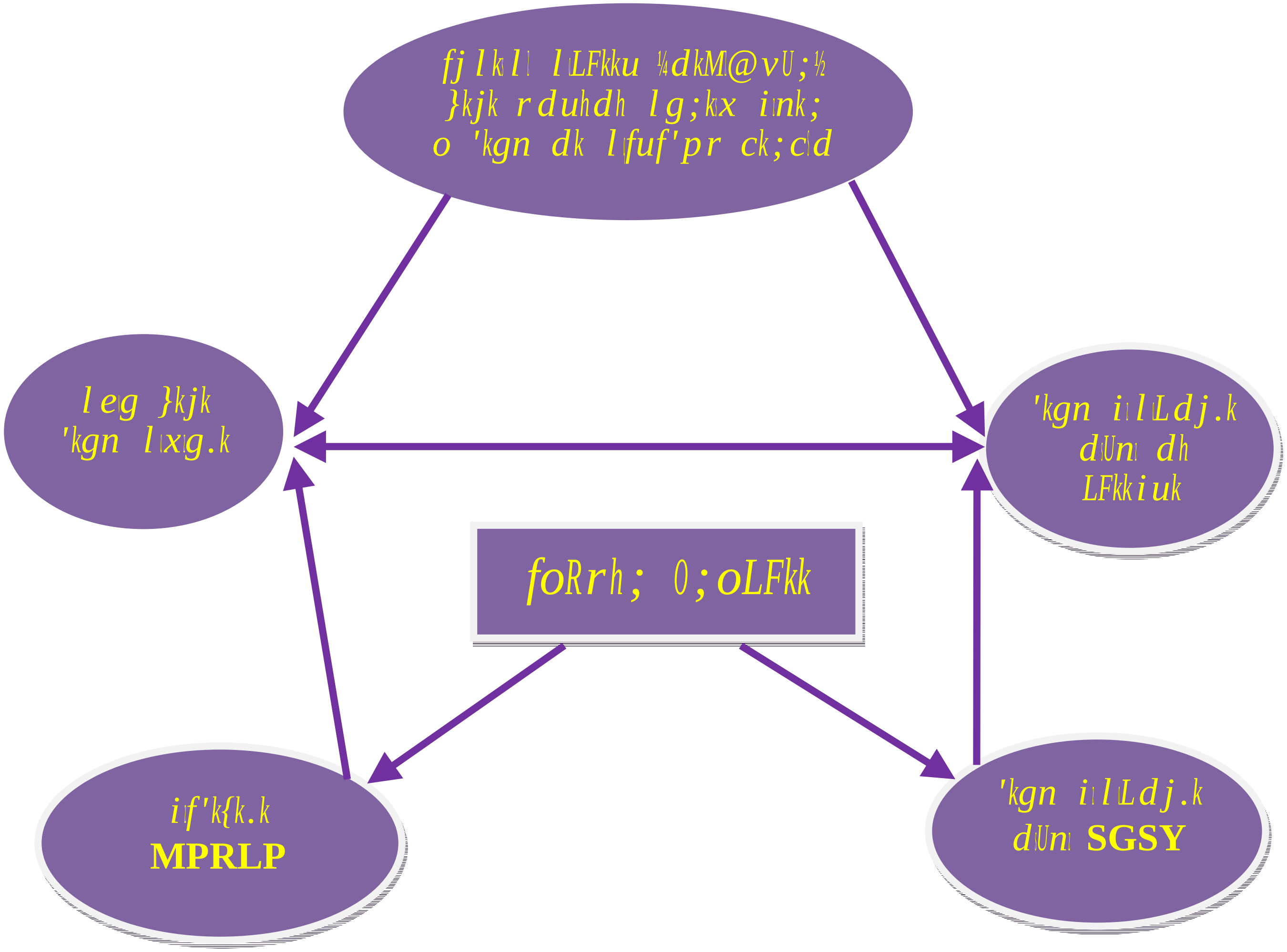
fjlkl lLFkku ¼dkM@vU;½
}kjk rduhdh lg;kx ink;
o 'kgn dk lfuf'pr ck;cd
leg }kjk
'kgn lxg.k
'kgn ilLdj.k
dUn dh
LFkkiuk
foRrh; 0;oLFkk
if'k{k.k
MPRLP
'kgn ilLdj.k
dUn SGSY

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शहद उत्पादन	श्री पंकज पांडे, एसएमस एमपीआरएलपी	भूमिहीन परिवारों को शहद उत्पादन/संग्रहण से जोडना	60	एमपीआरएलपी		एमपीआरएलपी	अनुलग्नक – 10	हितग्राहियों का चयन किया जा चुका है।	
			प्रशिक्षण	60	एमपीआरएलपी		एमपीआरएलपी		प्रशिक्षण कार्ड संस्था के माध्यम से दिया जा चुका है	
			शहद के भंडारण एवं प्रायमरी प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट का प्रदाय	1	एमपीआरएलपी	0.50	एमपीआरएलपी		30.11.2009 तक	30.11.09 तक कार्ड संस्था के घुघरी स्थित प्रसंस्करण केन्द्र से जोडा जाएगा

Mh t y iEi dk ink;

dUo tUl l; fodkl

डिण्डौरी जिले में सिंचाई का रकवा अत्यधिक कम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कपिलधारा कूपों का उत्खनन किया जा रहा है। इन कूपों के माध्यम से कृषकों को सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए डीजल पम्प उपयोगी है। डीजल पम्प के माध्यम से किसान स्वयं तथा दूसरे कृषकों की कृषि योग्य भूमि को सिंचिंत कर सकता है।

fØ;kUo;u j.kuhfr

इस गतिविधि का क्रियान्यन एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से किया जावेगा। डीजल पम्प ऐसे हितग्राहियों को प्रदाय किये जावेंगें जिन्हें कपिलधारा कूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से प्रदाय किया गया है।

xfrfof/k l s vk; &

इस गतिविधि में हितग्राही अपनी भूमि में सब्जी के साथ–साथ अनाज का उत्पादन कर सकता है। साथ ही दूसरे कृषकों की भूमि को किराये से सिंचित कर सकता है। इस प्रकार इस गतिविधि से हितग्राही को प्रति वर्ष 40000/– से 50000/– तक शुद्ध लाभ प्राप्त हो सकेगा।

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डीजल पम्प वितरण	श्री एस.आर. भारती परि. प्रशासक एकीकृत आदिवासी परियोजना डिण्डौरी	वाडी के हितग्राहियों को डीजल पम्प प्रदाय करना	100	एकीकृत आदिवासी परियोजना	20.00	एमपीआरएलपी	अनुलग्नक – 11	1. 30.9.09 तक हितग्राही चयन 2. 15.10.09 तक राशि जारी करना	एकीकृत आदिवासी परियोजना के कलस्टर ग्रामों में
					खाद्य सुरक्षा मिशन	10.00	एमपीआरएलपी			

LokLF; ,oa efgyk cky fodkl

dUotZsUl ls fodkl

जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना के रूप में 1 जिला चिकित्सालय, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक आयुर्वैदिक डिसपेंसरी एवं 8 अयुर्वैदिक उप केंद्र हैं। जिले में महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत 7 परियोजनायें संचालित हैं। जिले में कुल .... आंगन बाडी केंद्र स्वीकृत है। जिनमें 0–6 वर्ष उम्र के बच्चों, गर्भवति महिलाओं, धात्रि महिला तथा किशोर बालिकाओं को योजनांतर्गत सुविधायें दी जाती हैं। जिले के कुल स्वीकृत .... आंगन बाडी केंद्रों में से केवल .... ही भवनों में लगते हैं शेष .... आंगनबाडी केंद्र भवन विहीन हैं।

विवरण	डिण्डौरी	मध्यप्रदेश	भारत
IMR	29	72	55
MMR	281	335	254
TFR	3.2	3.4	2.7

जैसा कि विदित है जिले की 95 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है तथा आदिवासी बाहुल्य जिला होने के कारण अधिकांशतः लोग बिखरे हुए बसाहटों में रहते है जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुचाना कठिन है। डिण्डौरी जिले में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर राज्य एवं भारत के औसत से अधिक है। जिसका मूल कारण महिलाओं में साक्षरता की कमी तथा संस्थागत प्रसव की व्यवस्था एवं पोषण आहार में कमी है। जिले की गरीब ग्रामीण जनसंख्या 55 प्रतिशत मुख्य कार्यशील जनसंख्या है जो देहाडी रोजगार से अपनी आजीविका उपार्जित करती है। ऐसे में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के पहलु उनकी दिनचर्या में गौड हो जाते हैं। महिलाएं लघु वनोपज संग्रहण, ईधन इकट्ठा करने तथा दूर से पानी लाने में दिन का अधिकतर समय गवां देती हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि ऐसे परिवारों की महिलाएं स्वाभाविक रूप से कुपोषित होती हैं जिसका सीधा प्रभाव उनकी आने वाली पीढी पर भी होता है।

जिले में स्वास्थ्य विभाग के अमले की कमी को दृष्टिगत रखते हुये कन्वर्जेन्स प्लान का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेक्टर में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृणीकरण एवं विस्तार करना है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति एक प्रत्यक्ष चुनौती है। इसे चुनौती के रूप से स्वीकार करते हुए कन्वर्जेन्स प्लान के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढावा देकर, सीधे शिशु मृत्य दर

एवं मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है। साथ ही स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेक्टर में शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना है।

dUo tUl Iyku d e[; fcUn

- जिले में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का समन्वय।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण।
- शतप्रतिशत संस्थागत प्रसव हेतु पृथक से कार्ययोजना तैयार की गई है।
- शतप्रतिशत गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं का टीकाकरण।
- अंधत्व निवारण एवं शाला में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का नेत्र परीक्षण करना।
- स्माइल कार्यक्रम अंतर्गत जिले में शतप्रतिशत कटे–फटे होठ/तालु से पीड़ित व्यक्तियों का ऑपरेशन।

xke LokLF; ,o LoPNrk lfefr dk iuxBu ,o if'k{k.k

12 अप्रैल 2005 को मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पीछे शासन का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, ग्रामीण स्तर तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव हो सकती है जब जनसमुदाय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, इस हेतु सर्व प्रथम आवश्यकता थी एक बहुत बड़े नेटवर्क की, इस मंशा से शासन ने प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया। इस समिति के गठन का उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य विभाग का संपर्क सीधे ग्राम से हो सके एवं स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही ग्राम स्तर तक पहुंचाया जा सके। इससे ग्राम में होने वाली बीमारियों आदि को तो नियंत्रित किया ही जा सकेगा साथ ही साथ जनसमुदाय भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा। प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में सचिव के रूप में उसी ग्राम की सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला आशा के रूप में

चिन्हांकित होती है जो समय समय पर विभाग में आकर संपर्क करती है। इन्हीं आशा एवं समुदायों की एक समिति को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का नाम दिया गया है। इस समिति को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मद से प्रति वर्ष राशि रूपये 10000/– उपलब्ध कराये जाते हैं जिसका उपयोग समिति की मंजूरी से जनकल्याण हेतु किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाना है। जिसमें महिला पंच अध्यक्ष के रूप में तथा आशा कार्यकर्ता सचिव के रूप में कार्यरत होंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये कन्जर्वेन्स प्लान के माध्यम से सर्वप्रथम ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें गांव की सबसे पढी लिखी महिला तथा उसी ग्राम की प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका को समिति का सदस्य मनोनीति किया जाएगा। समिति की प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से बैठक होगी जिसमें एक स्थाई एजेण्डा रहेगा और समय के अनुसार प्रासंगिक बिन्दु भी रहेंगें।

परिचय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं अनुसार समुदाय को संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है। ग्राम स्तर पर इसी उद्देश्य को लेकर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन का निर्णय लिया गया। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति प्रत्येक ग्राम में गठित की गई है। यह समिति ग्राम पंचायत के अधीन तथा अन्य स्थानीय समितियों के समन्वय से कार्य करेगी।

स्वरूप– ग्राम पंचायत की (यथा संभव महिला) पंच समिति की अध्यक्ष होगी तथा आशा सचिव के पद पर मनोनीत की जावेगी। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, एम.पी.डब्ल्यू., मलेरिया लिंक वर्कर, ग्राम के विद्यालय का मास्टर, जन स्वास्थ्य रक्षक, प्रत्येक मजरे टोले से एक या दो प्रतिनिधि (अधिकतम तीन) सदस्य के रूप में मनोनीत होंगे।

ग्राम स्वास्थ्य निधि का गठन– प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के पास एक निधि संधारित की जावेगी। इस निधि का उद्देश्य स्थानीय आधार पर निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर लोक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए प्रयास को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ओर से इस निधि में प्रति वर्ष 10000/– राशि का अनुदान किया जावेगा। इस अनुदान का उपयोग निम्नानुसार गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा तथा राशि रूपये 2000/– आकस्मिक राशि के रूप में नगद रखना होगी जिसका व्यय गर्भवती माता को प्रसव परिवहन व्यवस्था के रूप में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उक्त राशि का उपयोग कहीं नहीं किया जा सकेगा।

समिति की बैठक– समिति के बैठक प्रत्येक माह में एक बार ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अर्थात मंगलवार/शुक्रवार के दिन की जावेगी। जिसमें पिछले माह के कार्यो की समीक्षा किये जाने के साथ–साथ, आगामी माह की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

समिति प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में अपने किये गये कार्यो को प्रस्तुत करेगी। समिति स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति, लाभार्थियों की परिस्थितियाँ एवं आय–व्यय संबंधी जानकारियों एवं दस्तावेजों को संधारित करेगी।

<u>ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का कार्य–</u>

1. ग्राम की प्रत्येक गर्भवती माता का गर्भ के तृतीय माह में ही पंजीयन सुनिश्चित करना।
2. पंजीकृत गर्भवती माताओं की प्रसव से पूर्व तीनों जांच अनिवार्य रूप से कराना।
3. आशा द्वारा गर्भवती माताओं से भेट एवं गर्भ से संबंधित जटिलता के बारे में जानकर अस्पताल में सूचित करना।
4. सभी गर्भवती माताओं का प्रसव चिकित्सालयों में सुनिश्चित कराना।
5. प्रसव के उपरांत तीनों जांच (48घंटे, 14 दिन एवं 42दिन) सुनिश्चित कराना।
6. जन्में सभी बच्चों का आंगनबाड़ी में वजन चैक कराना।
7. टीकाकरण योग्य समस्त बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
8. वर्ष में प्रति छःह माह पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करना जिसमें सबसे स्वस्थ्य बालक, अच्छी माता, अच्छा पति, अच्छी सास नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना जिसमें अधिकतम 200/– रूपये एक व्यक्ति को इनाम के रूप में दिया जावेगा। इस प्रतियोगिता में ए.एन.एम. एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होना अनिवार्य होगा। तथा एक व्यक्ति एक ही बार प्रतियोगिता में शामिल हो सकेगा। एक प्रतियोगिता में अधिकतम 10 लोग ही भाग ले सकेंगे। इनाम का निर्धारण निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर किया जावेगा।

क्र.	पुरूस्कार	हितग्राही चयन नियम	पात्रता

1	शक्तिमान (ग्राम का सबसे स्वस्थ्य शिशु)	• बच्चा किसी स्वास्थ्य संस्था पर पैदा हुआ हो। • बच्चे की उम्र के अनुसार समस्त टीके लग चुके हों। • बच्चा उम्र के मान से सामान्य ग्रेड का हो अर्थात आंगनबाड़ी पर नियमित वजन लिया जाता हो। • बच्चा शारीरिक/मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो।	0 से 1 वर्ष तक के बच्चे
2	आदर्श सास पुरूस्कार	• गर्भवती माता को टिटनेस 1 एवं टिटनेस 2 के टीके आवश्यकतानुसार लगे हों। • गर्भवती माता की गर्भ के समय तक समस्त जांच करवाई हों। • सास घर के कार्यों में बहू का सहयोग करती हैं। • पोषण आहार के रूप में दुगुना खाने हेतु प्रेरित करती हैं। • सास बहू को प्रतिदिन आराम एवं अधिक वजन न उठाने हेतु सलाह देती हैं। • सास बहू को अस्पताल में ही जचकी करवाने के लिए सलाह देती हो।	ऐसी सासें जिनकी बहुएं गर्भवती हों।
3	आदर्श दम्पति पुरूस्कार	• दो बच्चों पर पति ने पुरूष नसबंदी अपनाई हो। • जीवित बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो गया हो। (उम्र के अनुसार) • पिछले 6 माह में बच्चे को कुपोषण के कारण स्वास्थ्य खराब न हुआ हो अर्थात बच्चा सामान्य ग्रेड का हो।	01 से 02 बच्चों वाले पति एवं पत्नी

3	आदर्श दम्पति पुरूस्कार	• बच्चे नियमित स्कूल/आंगनबाड़ी जाते हों। • दम्पत्ति के घर पूर्ण रूप से साफ–सफाई रहती हो। • परिवार नशा मुक्त हो। • दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्ष का अंतर हो। • पत्नी को खून की कमी न हो अर्थात पत्नी ऐनेमिक न हो। • यदि पत्नी गर्भवती हो तो पति द्वारा उसका नियमित प्रसव पूर्व जांच कराई जा रही हो। • घर में गर्भवती महिला को नियमित आयरन की गोलियां खिलाई जा रही हों। • महिला का वजन निर्धारित मापदण्ड अनुसार हो। • जिन दम्पत्तियों ने पति या पत्नी में से किसी ने दो बालिकाएं होने की स्थिति में भी नसबंदी करा ली हो तो उसे इनाम की राशि के उपरांत 100 रूपये अतिरिक्त प्रदान की जावेगी। दो बच्चों पर पति ने पुरूष नसबंदी अपनाई हो। • जीवित बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो गया हो। (उम्र के अनुसार) • पिछले 6 माह में बच्चे को कुपोषण के कारण स्वास्थ्य खराब न हुआ हो अर्थात बच्चा सामान्य ग्रेड का हो। • बच्चे नियमित स्कूल/आंगनबाड़ी जाते हों। • दम्पत्ति के घर पूर्ण रूप से साफ–सफाई रहती हो।	01 से 02 बच्चों वाले पति एवं पत्नी

3	आदर्श दम्पति पुरूस्कार	• परिवार नशा मुक्त हो। • दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्ष का अंतर हो। • पत्नी को खून की कमी न हो अर्थात पत्नी ऐनेमिक न हो। • यदि पत्नी गर्भवती हो तो पति द्वारा उसका नियमित प्रसव पूर्व जांच कराई जा रही हो। • घर में गर्भवती महिला को नियमित आयरन की गोलियां खिलाई जा रही हों। • महिला का वजन निर्धारित मापदण्ड अनुसार हो। • जिन दम्पत्तियों ने पति या पत्नी में से किसी ने दो बालिकाएं होने की स्थिति में भी नसबंदी करा ली हो तो उसे इनाम की राशि के उपरांत 100 रूपये अतिरिक्त प्रदान की जावेगी।	01 से 02 बच्चों वाले पति एवं पत्नी

9. गांव में 2 या 2 से अधिक संतान वाले दंपत्तियों को यदि उन्होंने नसबंदी/नलबंदी नहीं कराई है तो उस दंपत्ति को नसबंदी/नलबंदी/अन्य साधन उपयोग किये जाने हेतु प्रेरित कर पास की स्वास्थ्य संस्था में पहुंचाना।

10. यदि ग्राम का कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित हो चाहे वह कोई गंभीर बीमारी जैसे टी.बी./कैंसर आदि से ग्रसित है तो उसको समीपस्थ स्वास्थ्य संस्था के माध्यम से सलाह लेकर उचित जांच हेतु जिला अस्पताल तक पहुंचाना है जिससे जिला स्तर पर जांच कर उसे जिला बीमारी सहायता निधि या अन्य योजनाओं के तहत उस व्यक्ति के उपचार की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11. आशा द्वारा प्रति माह बैठक में ग्रामवासियों को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताना।

बैठक विवरण

ग्राम में प्रतिमाह माह के मंगलवार/शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया जावेगा जिसमें निम्नानुसार बिन्दुओं पर चर्चा कर कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

1. ग्राम की शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन हुआ है या नहीं।
2. यदि महिला का पंजीयन हो चुका है तो क्या महिला की तीनों जांच समय–समय पर हो चुकी हैं या हो रही हैं।
3. आशा द्वारा गर्भवती माताओं से समय–समय पर संपर्क किया जाता है या नहीं।
4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय–समय पर ग्राम में भ्रमण करते हैं या नहीं।
5. यदि महिला का प्रसव हो चुका है तो प्रसव के 42 दिन तक की अवधि में किये जाने वाले तीनों जांच जो कि 2 दिन, 14 दिन एवं 42 दिन में होते हैं कराए जा रहे हैं या नहीं।
6. टीकाकरण योग्य समस्त बच्चों को टीके लग चुके हैं या नहीं।
7. ग्राम के ऐसे दंपत्ति जिनकी दो या दो से अधिक संतानें हैं तो क्या वे परिवार नियोजन के स्थाई साधन उपयोग कर रहे हैं या नहीं।
8. ग्राम में कोई टी.बी. का मरीज है तो क्या उसकी खंखार जांच हो चुकी है और हां तो क्या डॉट प्रोवाइडर द्वारा उसको नियमित रूप से दवा का सेवन कराया जा रहा है या नहीं।
9. ग्राम में संभावित लक्षण वाले क्षय रोगियों को नियमित चिन्हित कर स्वास्थ्य संस्थाओं पर भेजा जा रहा है या नहीं।
10. यदि ग्राम में कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या उसका उपचार हो रहा है या नहीं यदि नहीं तो आशा द्वारा संबंधित को उपचार लिये जाने हेतु समझाइश देकर चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाना।
11. ग्राम में संक्रामक बीमारी फैलने की स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य संस्थान को सूचना देना तथा प्रतिमाह बैठक में समीक्षा करना।
12. ग्राम के ऐसे कोई बच्चे जो कुपोषित हों उनका उपचार होना शेष तो नहीं रह गया है।
13. समिति द्वारा व्यय की गई राशि की समीक्षा।

कार्यवाही विवरण

आज दिनांक —————————————— को आंगनबाड़ी केन्द्र पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अवसर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समिति के निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए।

क्र.	उपस्थित व्यक्ति का नाम	पद	हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

आज की बैठक में सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुओं पर चर्चा कर कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया–

क्र.	प्रस्तावित बिन्दु	क्या कार्यवाही की जावेगी	किसे कार्यवाही करना है
1	ग्राम की शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन हुआ है या नहीं।		
2	ग्राम की कोई गर्भवती महिला ऐसी तो नहीं बची है जिसकी प्रसव से पहले वाली जांच होना बाकी है।		
3	आशा द्वारा गर्भवती माताओं सेसमय–समय पर संपर्क किया जाता है या नहीं।		
4	स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय–समय पर ग्राम में भ्रमण करते हैं या नहीं।		
5	यदि महिला का प्रसव हो चुका है तो प्रसव के 42 दिन तक की अवधि में किये जाने वाले तीनों जांच जो कि 2 दिन, 14 दिन एवं 42 दिन में होते हैं कराए जा रहे हैं या नहीं।		
6	टीकाकरण योग्य समस्त बच्चों को टीके लग चुके हैं या नहीं।		

क्र.	प्रस्तावित बिन्दु	क्या कार्यवाही की जावेगी	किसे कार्यवाही करना है
7	ग्राम के ऐसे दंपत्ति जिनकी दो या दो से अधिक संतानें हैं तो क्या वे परिवार नियोजन के साधन उपयोग कर रहे हैं या नहीं।		
8	ग्राम में कोई टी.बी. का मरीज है तो क्या उसकी खंखार जांच हो चुकी है और हां तो डॉट प्रोवाइडर द्वारा उसको नियमित रूप से दवा का सेवन कराया जा रहा है		
9	ग्राम में संभावित लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित कर स्वास्थ्य संस्थाओं पर भेजा जा रहा है या नहीं।		
10	यदि ग्राम में कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या उसका उपचार हो रहा है या नहीं।		
11	हितग्राही नामावली का नियमित संधारण हो रहा है या नहीं।		
12	ग्रेड 3 एवं 4 के बच्चों को एन.आर.सी. में उपचार हेतु भेजा जा रहा है या नहीं।		
13	घरेलू हिंसा		

समिति इस प्रकार से कार्य करे कि कोई भी प्रसव घर पर न हो एवं समस्त प्रसव अस्पताल में ही हों। इस हेतु जिले के आवश्यक संपर्क नंबर सहित विभिन्न अस्पतालों एवं वाहनों के संपर्क नंबर आपकी पुस्तिका में उपलब्ध हैं। इसके कार्य में कोताही बरते जाने पर समिति के सदस्यों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। अतः **"ग्राम स्वस्थ्य तो हम स्वस्थ्य"** के नारे को ध्यान में रखकर पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें।

'krifr'kr lLFkkxr ilo grq iFkd ls dk;Z;kstuk

स्वास्थ्य की परिकल्पना के आधार पर सुरक्षित प्रसव उत्तम स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी कड़ी है परंतु संसाधनों एवं दुर्गम क्षेत्रों के कारण वर्तमान में संस्थागत प्रसव औसतन 40 से 45 प्रतिशत तक ही हो पा रहा है। असुरक्षित प्रसव ही मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर का कारण होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यह तभी संभव हो सकता है जब संस्थागत प्रसव शत प्रतिशत हो सके अर्थात जिले में होने वाले प्रत्येक प्रसव को संस्था पर ही कराया जा सके। डिण्डौरी जिले में संस्थागत प्रसव की स्थिति प्रस्तुत सारणी अनुसार है।

क्र.	वर्ष	कुल प्रसव	संस्थागत प्रसव	अंतर
1	2006-07	17861	3828	14033
2	2007-08	16688	6521	10167
3	2008-09	16882	6932	9950

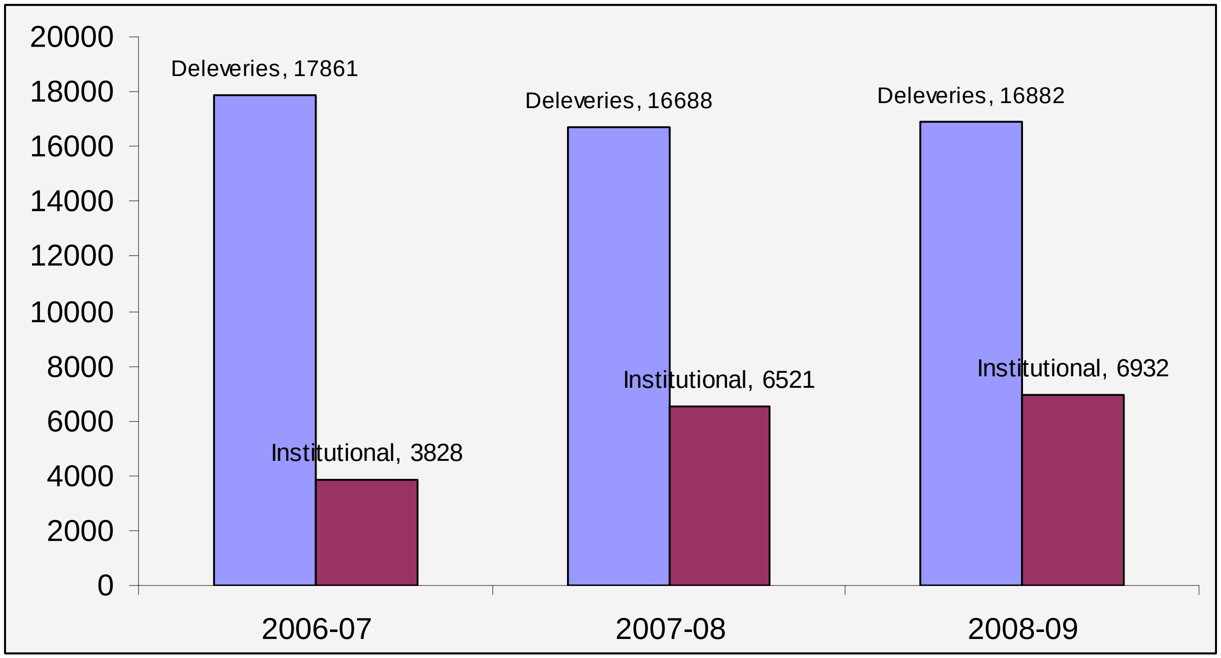

lLFkkxr izlo dh fLFkfr

शतप्रतिशत संस्थागत प्रसव के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के पास नगद राशि रखने हेतु एक कैश बॉक्स रहेगा जिसकी एक चाबी आशा कार्यकर्ता तथा दूसरी चाबी समिति की अध्यक्ष के पास रहेगी। समिति के पास ग्राम के समीप ही ऐसे व्यक्ति जिनके पास चार पहिया वाहन हैं उनकी सूची (फोन नम्बर सहित) रहेगी। आवश्यकता होने पर प्रसव के लिए गर्भवती महिला को इन वाहनों का उपयोग कर निकटतम चिकित्सीय संस्था भेजा जायेगा। इस व्यवस्था में आने वाले व्यय की पूर्ति समिति द्वारा संधारित कैश बॉक्स से की जायेगी।

वर्तमान में जिले में 13 संस्थाएं ऐसी हैं जहां संस्थागत प्रसव कराए जाते हैं। इनमें से 6 ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। अतः संपूर्ण जिले में वित्तीय वर्ष 2009–10 में 23 नवीन संस्थाओं को उन्नयित कर प्रसव हेतु तैयार किया जा रहा है, जिससे की संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जा सके। इसके लिए जिले स्तर पर एक समिति का गठन कर निम्नांकित 23 संस्थाओं का सर्वे कर प्रसव हेतु इनकी प्राथमिक आवश्यकताओं का आंकलन किया जावेगा जिससे मापदंडों को पूर्ण कर संस्थाओं पर प्रसव सुनिश्चित कराया जा सके।

इस हेतु विकासखंडवार निम्नांकित संस्थाओं को चिन्हित किया जाकर खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को चेक लिस्ट प्रदान की जा चुकी है। चेक लिस्ट प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकताओं का आंकलन कर जिला/विकासखंड स्तर/कन्वर्जेंस (लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय/विद्युत विभाग/जिला पंचायत) से उन संस्थाओं में प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी। 15 अक्टूबर तक उन्नयन का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

क्र.	विकासखंड का नाम	स्वास्थ्य संस्था का नाम व प्रकार
1	अमरपुर	प्रा.स्वा.के.कमको मोहनिया
2		उप स्वा.के. खैरदा
3		उप स्वा.के. निघौरी
4		उप स्वा.के. बोधघुण्डी
5		उप स्वा.के. देवरी
6	समनापुर	उप स्वा.के. जाड़ासुरंग
7		उप स्वा.के. बम्हनी
8		उप स्वा.के. छांटा
9	बजाग	उप स्वा.के. खरगहना
10		उप स्वा.के. मझियाखार
11	करंजिया	प्रा.स्वा.के. बहारपुर
12		प्रा.स्वा.के. गोरखपुर

क्र.	विकासखंड का नाम	स्वास्थ्य संस्था का नाम व प्रकार
13	डिण्डौरी	प्रा.स्वा.के. सारसताल
14	शहपुरा	प्रा.स्वा.के. कोहानी देवरी
15		प्रा.स्वा.के. मानिकपुर
16		प्रा.स्वा.के. बिछिया
17		प्रा.स्वा.के. कस्तूरी पिपरिया
18		उप स्वा.के. इंदौरी
19		उप स्वा.के. गुतलवाह
20		उप स्वा.के. भामा
21		उप स्वा.के. बरोदी
22		उप स्वा.के. चंदवाही
23		उप स्वा.के. बांसा

शतप्रतिशत संस्थागत प्रसव के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य कार्यकता तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नियत की गई है। अगर प्रसव संस्था में नहीं होता है तो ऐसे प्रत्येक प्रकरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता पर क्रमशः रूपये 500 तथा रूपये 300 का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

आशा है उपरोक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से शतप्रतिशत संस्थागत प्रसव के उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

'kr ifr'kr xHkZorh efgykvk ,o uotkr f'k'kvk dk Vhdkdj.k

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठकों का एक प्रमुख एजेण्डा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं का शतप्रतिशत टीकाकरण भी है। प्रत्येक समिति की बैठक के पश्चात कार्यवाही विवरण सेक्टर सुपरवाइजर संकलित कर ब्लॉक मेडिकल अस्पताल में संधारित होगा तथा जो गर्भवती महिलायें व नवजात शिशुओं टीकाकरण से वंचित रह गये हैं। उनका फालोअप कर टीकाकरण किया जायेगा।

v/kRo fuokj.k ,o 'kkyk e v/;;ujr Nk=@Nk=kvk dk u= ijh{k.k djuk

प्रायः यह देखा गया है कि ग्रामीण व विकासखंड स्तर पर नेत्र चिकित्सक न होने से कई छात्र/छात्रायें कमजोर दृष्टि होने के उपरांत भी समय पर इलाज नहीं करा पाते हैं तथा सम्पूर्ण छात्र जीवन कमजोर दृष्टि के साथ ही बीत जाता है। इस स्थिति को देखते हुये जिले के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का नेत्र परीक्षण किया जायेगा तथा जिन छात्रों की दृष्टि कमजोर है उन्हे चश्में प्रदाय किये जायेंगें। पायलट परियोजना के तहत सर्वप्रथम बजाग विकासखण्ड के सभी शालाओं मे नेत्र परीक्षण कर कमजोर छात्र/छात्राओं को चश्में वितरित किये जायेंगें।

ikt DV Lekby

स्माइल कार्यक्रम अंतर्गत जिले में शतप्रतिशत कटे–फटे होठ/तालु से पीड़ित व्यक्तियों का ऑपरेशन किये जायेंगें। कन्र्वजेंस प्लान में यह लक्ष्य रखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिले में कटे–फटें होंठ/तालु (विशेषकर बालिकाओं) के ऑपरेशन कर मुख्य मंत्री कन्या दान योजना अंतर्गत बालिग कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जायेगा।

dk;l;ktuk

क्र	गतिविधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियान्वयन एजेंसी	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/ योजना/ मद	राशि (लाख में)			
1	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति	अरविंद उपाध्याय	समस्त 897 ग्रामों में आशा का चयन किया जाकर समिति का गठन करना।	897	एन.आर.एच.एम.	89.70	NRHM	अक्टूबर–09	
2	शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव	डॉ.बी.एस.भलावी	• जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसूती सहायता प्रदाय करना।	12886	शासन से प्राप्त आवंटन	330.86	CMHO	पूरा वर्ष	
			• मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसूती सहायता प्रदाय करना।		मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना		BMO & CEO, JP		
			• सभी प्राथमिक स्वास्थ्यों केंद्रो में प्रसव हेतु अधोसंरक्षना व सुविधाओं सुनिश्चित करना।		ग्राम पंचातय की मूलभूत, 12 वें वित्त की राशि से।		CMHO & CEO, ZP		
3	टीकाकरण	डॉ.अजय राज	टीकाकरण योग्य समस्त बच्चों को समस्त टीके समय से लगाना।	100 प्रतिशत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	34.98	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति	पूरा वर्ष	
4	बैगा चक एवं वन ग्रामों चलित अस्पताल सुविधा उपलब्ध कराना।	डॉ.बी.एस. भलावी	बैगा चक एवं वन ग्रामों चलित अस्पताल सुविधा उपलब्ध कराना।		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी		CMHO		
5	जिला बीमारी सहायता निधि	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी	शासन द्वारा चिन्हांकित गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु राशि स्वीकृत करना।	100 प्रतिशत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15.00	CMHO, सामाजिक न्याय केंद्र	पूरा वर्ष	
6	अंधत्व निवारण	डॉ. एम.एल. अग्रवाल	बजाग विकासखंड के समस्त शालाओं में दर्ज बच्चों का नेत्र परीक्षण	12000	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	1.50	CMHO	अक्टूबर	
7	स्माइल कार्यक्रम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी	जिले में कटे फटे होंठों वाले बच्चों के ऑपरेशन	.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-	CMHO	31 अक्टूबर 09	
8	लाड़ली लक्ष्मी योजना	CDPO	लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत पात्रता अनुसार शतप्रतिशत पंजीयन।	3000	महिला बाल विकास	25.76	DPO	पूर्ण वर्ष	

f'k{kk

म0प्र0 में महत्वाकांक्षी शिक्षा गारंटी कार्यक्रम कम लागत में दूरस्थ ग्रामों एवं आदिवासी मजरा टोलों में शिक्षा पहुचाने का बहुत अच्छा कार्यक्रम हैं जोकि भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस अभियान से प्राथमिक शिक्षा लगभग सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यह अभियान केवल कागजो में न रहकर जमीनी हकीकत बन सके। बच्चों को शिक्षा के साथ–साथ प्राथमिक स्तर पर मध्यान्ह भोजन भी दिया जा रहा है। ताकि उनकी रूचि शाला आने में बढे एवं वे पढने में भी रूचि लें ताकि बच्चों के शालाओं में दर्ज संख्या में बढोत्तरी हो सके।

ikFkfed fo|ky;	1390
ek/;fed fo|ky;	333
vkJe 'kkyk	31
tu f'k{kk dUn ¼ldy½	102
tuin f'k{kk dUn ¼ch-vkj-lh-½	7
gkbl Ldy	58
gk;j ldUMjh Ldy	28
tokgj ukokn; fo|ky;	1
egkfo|ky;	2
0;olkf;d ,o vU;	1
vkbl-Vh-vkbl-& 'kgijk	1

प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं हाईस्कूल तक की शिक्षा की पूर्ति सर्व शिक्षा अभियान से अच्छी तरह की जा रही है। इन स्तरों पर कुछ अधोसंरचनात्मक कमियां हैं उन्हें आगामी वर्षो में सर्वशिक्षा अभियान से पूरा किया जा सकता है। डिण्डौरी जिले में शिक्षा के क्षेत्र में आदिम अति पिछडी जनजाति के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा हाई एवं हायर सेकेंड्री स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं जिनमें प्रयोगशाला, बोर्ड कक्षाओं हेतु फर्निचन एवं उपकरण आदि दिये जाना आवश्यक है ताकि उच्चतर एवं उच्च शिक्षा को बढावा दिया जा सके । जोकि शिक्षा क्षेत्र में जिले की प्राथमिक कमी समझ में आती है। महिला साक्षरता एवं ग्रामीण साक्षरता के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ प्रौढ शिक्षा एंव महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

रोजगार गारंटी योजना का लाभ लेते हुए सर्व शिक्षा अभियान, ट्राईवल योजनाएं, एसजीएसवाइ, आई टी डी पी, एवं अन्य योजनाओं के साफ्ट फण्ड का उपयोग करते हुए रोजगार गारंटी योजना में स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व

एवं कार्य समाप्त होने पर लगभग एक घण्टे प्रति कार्य दिवस साक्षरता के संबंध में शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाना एक अभिनव प्रयोग हो सकता है।

डिण्डौरी जिले में साक्षरता एवं शिक्षा अभी भी पिछड़ेपन के स्तर पर है। 2001 जनगणना के अनुसार जिले की 54.49 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है। जो कि राजकीय औसत 64.11 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय औसत 65.38 प्रतिशत से कुछ कम है।

जिला साक्षरता में शिक्षा सुविधाओं के न होने के कारण काफी पिछड़े है। आदिवासी बच्चों के माता–पिता बच्चों को स्कूल भेजने में रूचि नहीं लेते है इसका मुख्य कारण महिला साक्षरता (32 प्रतिशत) में कमी है। बच्चों के स्कूल न जाने का दूसरा मुख्य कारण प्राथमिक शिक्षा के बाद सही मार्गदर्शन न मिलना एवं पैसे की व्यवस्था न हो पाना है। उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने से बच्चे कुपोषण एवं विभिन्न बीमारियों का शिकार तो होते ही है लेकिन किशोर अवस्था तक आते–आते बेरोजगारी एवं आजीविका की समस्या उन्हें घेर लेती है जिसके कारण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवा भी बेरोजगारी के चंगुल में फंस जाते है एवं वे अपने परिवार के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ एवं खाद्यान्न भी नहीं जुटा पाते जिसके कारण परिवारों में अत्यन्त गरीबी है। साक्षरता एवं महिला जागरूकता में कमी के कारण महिलाएँ सुरक्षित प्रसव एवं कुपोषण आदि की समस्याओं से अनभिज्ञ है।

'k{kf.kd Lrj vk; ,o fyx d vulkj tul[;k

vk; 7 ,o mld Åij fM.Mkjh&2001

dy ;kx	vk; leg	f'kf{kr	f'kf{kr fcuk f'k{kk Lrj d	ikFkfed d uhp	ikFkfed	ek/;fed	mPp ek/;fed	gk;j ldMjh	xj rduhdh fMIykek	Lukrd vkj vf/kd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डिण्डौरी	7-9	62-3	0-8	61-0	0-6	0-0	0-00	0-00	0-00	0-00
	10-12	76-8	0-9	50-8	24-5	0-5	0-00	0-00	0-00	0-00
	13-16	75-8	1-7	14-4	39-4	18-1	2-17	0-00	0-00	0-00
	17-24	66-0	3-3	9-4	19-0	19-5	8-00	5-48	0-00	1-31

Ldwyksa esa Nk=ksa dh ntZ la[;k Lrj

lkekftd i{k=	bdkbZ	vof/k	fM.Mksjh
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2000.01	1016
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के नामांकित छात्र	’000 संख्या	2000.01	97
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक	संख्या	2000.01	2507
हायर सैकेण्ड्री विद्यालय	संख्या	2000.01	63
हायर सैकेण्ड्री के नामांकित छात्र	’000 संख्या	2000.01	11

जिले में आदिवासी बसाहटे दूर बसी होने के कारण तथा पहाड़ी एवं पठारी अथवा वन क्षेत्र में होने के कारण दुर्गम हैं, जिसके कारण ईंधन बटोरने, पानी लाने, मजदूरी करने अथवा अन्य दैनिक कार्यों में बच्चे अपने मॉ के साथ जाते है तथा वे स्कूल नहीं जा पाते जिसके कारण विद्यालयों में छात्रों की दर्ज संख्या में कमी होती है। गरीबी एवं आजीविका के साधन नहीं होने के कारण बच्चे भी मजदूरी के लिए मजबूर हो जाते है एवं वे शाला त्यागी हो जाते है।

lkekftd U;k;

2001 की जनगणना अनुसार डिण्डौरी जिले की कुल जनसंख्या 580730 है। जिसमें से पुरूष 291716 एवं महिला 289014 जनसंख्या है। जिले में पुरूष एवं महिला अनुपात 983 है। कुल जनसंख्या में से 374447 (64.48 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 33848 (5.83 प्रतिशत) अनुसूचित जाति है। ग्रामीण जनसंख्या 553860 (95.37 प्रतिशत) एवं शहरी 26870 (4.63 प्रतिशत) है। जिले के 46.36 प्रतिशत किसान, 86.51 प्रतिशत भूमि का उपयोग करते है। डिण्डौरी जिला मध्यप्रदेश के 39.7 प्रतिशत किसानों की तुलना में 78.44 प्रतिशत भूमि का उपयोग करते है, इसी प्रकार सीमान्त भूमि धारक 5.04 प्रतिशत है, जबकि किसान 36.1 प्रतिशत है, मध्यप्रदेश में सीमान्त भूमि धारक 6.85 प्रतिशत है एवं किसान 35.5 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि जिले के अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से सुदृड़ नही है । सामाजिक न्याय एवं सामाजिक उत्थान हेतु केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। डिण्डौरी जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अति आवश्यक है । अतः कर्न्वेजेंस प्लान में सामाजिक न्याय प्रमुख स्थान रखता है। कर्न्वेजेंस प्लान में सामाजिक न्याय सेक्टर के मुख्य बिन्दु

1- मुख्यमंत्री मजदूर सरुक्षा योजना, आम आदमी बीमा योजना,जनश्री बीमा योजना औरं भवन सनिर्माण एवं कर्मकार मण्डल योजना के अंतर्गत शत–प्रतिशत पंजीयन ।
2. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना एवं भवन सनिर्माण एवं कर्मकार मण्डल योजना के प्रावधानों का उपयोग कर शत–प्रतिशत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना।मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत दी जाने वाली प्रसुति सहायता हेतु राशि जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि के साथ सम्मिलित कर एक साथ ही जारी करना।
3. राजस्व परिपत्र संहिता (RBC) के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट आदि अभिलेखों में मुख्यमंत्री मजदूर सरुक्षा योजना, आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना औरं भवन सनिर्माण एवं कर्मकार मण्डल योजना के प्रावधानों को निहित कर संयुक्त प्रकरण तैयार एवं स्वीकृत करना।
4. जिले स्तर पर सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं के अनुश्रवण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय केन्द्र की स्थापना।

जिले में सामाजिक न्याय केंद्र की स्थापना

सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं में अनेक प्रकार के आवेदन भरे जाते है। जिनका परीक्षण उपरांत ही पात्रता का निर्धारण किया जाता है। प्रायः आवेदनकर्ता को प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी न होने के कारण यह कई कार्यालयों में जाते है तथा प्रकरण स्वीकृति की आशा में सभी जगह आवेदन देते है। परंतु कार्यालयीन व्यवस्था में प्रत्येक आवेदन पर कार्यवाही करना संभव नहीं हो पाता है। जिसके कारण कई पात्र हितग्राही भी सामाजिक सुरक्षा हेतु शासन द्वारा संचालित कई योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते है। उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुये जिले की संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही ^^lkekftd U;k; dUn** की स्थापना की जा रही है। lkekftd U;k; dUn सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता करेगा। lkekftd lqj{kk ;kstuk से संबंधित समस्त आवेदन इसी केंद्र पर एकत्रित कर निराकृत किये जायेगें।

जिला कार्यालय में अधिकांश आवेदक सामाजिक सुरक्षा की किसी योजना से जुड़े लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करते है। इस स्थिति को देखते हुये lkekftd U;k; dUn सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्त योजनाओं का Single Window निराकरण केंद्र होगा। आवेदन प्राप्त होने पर एक निश्चित समयावधि में आवेदनों का निराकरण कर पात्रता/अपात्रता की सूचना आवेदनकर्ता को दी जायेगी। प्रायः यह देखा गया है कि कई प्रकरणों में आवेदक को पात्रता नहीं होती है इसके उपरांत भी निरंतर आवेदन प्रस्तुत करता रहता है क्योंकि उसे पात्रता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। lkekftd U;k; dUn के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जावेगा कि समस्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही कर पात्र प्रकरणों को स्वीकृत किया जाये तथा अपात्र प्रकरणों को अस्वीकृत कर संबंधित आवेदनकर्ता को दी जायेगी। जिससे अपात्र हितग्राही प्रकरण निरस्ती की संपूर्ण जानकारी पाकर अगले बार से बार–बार आवेदन नहीं करेगा।

lkekftd U;k; dUn के क्रियान्वयन तथा संचालन में होने वाला व्यय सामाजिक न्याय की योजनाओं के प्रशासनिक मद से वहन किया जावेगा।

सामाजिक न्याय पंजी

शासन संचालित सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के शत–प्रतिशत पंजीयन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक **lkekftd U;k; iath** का संधारण किया जायेगा। इस पंजी में योजनावार ग्राम पंचायत में निवासरत व्यक्तियों का पात्रता के आधार पर शत–प्रतिशत पंजीयन किया जाकर योजना का लाभ दिया जावेगा। सामाजिक न्याय पंजी के संधारण व अद्यतन स्थिति की समीक्षा ग्राम सहायक करेंगे।

dk;l;k tuk

क्र	गति विधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियानवयन ऐजन्सी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/योजना/मद	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	उप संचालक सामाजिक न्याय	1–प्रसूति सहायता के अंतर्गत 1000/–तथा 06 सप्ताह की प्रचलित दर पर मजदूरी तथा पति को 15दिवस की मजदूरी ।यदि जननी सुरक्षा योजना से राशि दी जाती है तो प्रसूती सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना से नही दी जावेगी। ब्लाक मेडिकल आफिसर को पंजीकृत मजदूरों की सूची एवं राशि भेजना । जब महिला प्रसव के लिऐ अस्पताल में आती है । और वह पंजीकृत परिवार की है तो उसे प्रसव के बाद अस्पताल से छुट्टी के पूर्व बी0एम0.ओ0 द्वारा रूप्या 5430/–का एकाउन्ट पेई चैंक दिया जावेगा ।	मांग अनुसार	शासन से आबंटन प्राप्त होता है।	–	ग्राम पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	जिला डिण्डौरी	निरंतर	विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी को अग्रिम राशि प्रदाय कर जननी सुरक्षा योजना के चैक के साथ मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसूति सहायता का चैंक भी दिया जायेगा।
			2–छात्रवृत्तिः–अ0जा0/अ0ज0जा/अन्य पिछडा वर्ग की छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर इस योजना से राशि नही दी जाती।		शासन से आबंटन प्राप्त होता है। –			जिला डिण्डौरी		
	,,	,,	3– मेघावी छात्रवृति :–यदि अन्य शासकीय विभाग से लाभ न मिले तब प्रचलित दर पर इस योजना से लाभ दिया जावेगा।	–	–शासन से आबंटन प्राप्त होता है।	–		जिला डिण्डौरी	–	–
	,,	,,	4– विवाह सहायता –मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह में विवाह करने पर 6500/–की	–	–शासन से आबंटन प्राप्त होता है।		मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	जिला डिण्डौरी	–	–

			सामग्री सहायता दी जाती है।							
,,	,,		5– चिकित्सा सहायता–पजीबंद्ध श्रमिक के किसी सदस्य के बीमार होनेकी दशा में दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूप्या 20000/–तक की सहायता दी जावेगी।	–	–शासन से आबंटन प्राप्त होता है।	–	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जिला डिण्डौरी	–	–
,,	,,		6– दुर्घटना मृत्यु में अनुग्रह सहायताः– आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत दुर्धटना के कारण मृत्यु होने पर रूप्या 75000/–की सहायता दी जाती है।	–	–शासन से आबंटन प्राप्त होता है।	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	जिला डिण्डौरी	–	–
			7– मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टी सहायताः– पंजीबंद्ध श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में अन्त्येष्टि के लिऐ दो हजार रूप्या की सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।		–शासन से आबंटन प्राप्त होता है।			जिला डिण्डौरी		
2	आम आदमी बीमा योजना	जिला पंचायत	आम आदमी बीमा योजना के तहत भूमि हीन ग्रामीण मजदूरों को मृत्यु पर बीमा लाभ के लिये यह योजना संचालित है। इसकी समय सीमा 1–4–2009 से 31–3–2010 तक हैं 1–4–09 से 30–8–09 तक के आर0बी0सी0 06(4)के प्रकरण तहसीलदारों से उपसंचालक प्राप्त करेगें। 30 अगस्त 09 के पश्चात आर0बी0सी 6(4)के प्रकरण तैयार करते समय भूमिहीन होने के प्रमाण पत्र सहित पटवारी,, आम आदमी बीमा योजना का दावा प्रपत्र भरकर ही प्रकरण आगे बढायेगें ।	–	जीवन बीमा निगम	–	ग्राम पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत		15–9–09 तक जीवन बीमा निगम को भेजना	
3	जनश्री बीमा	जिला पंचायत	बी0पी0एल परिवारों के लिऐ मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहरी/ग्रामीण लोग जो	–	जीवन बीमा निगम	–	ग्राम पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन	–	–	–

	योजना		म0प्र0शासन की अन्य योजना यथा आम आदमी बीमा योजना तथा मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा में सम्मलित नही है । उनके लिये जनश्री बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इसकी समय सीमा 1–1–09 से 31–12–09 तक होगी । इसके तहत आर0बी0सी 6(4)के प्रकरण तैयार करते समय पटवारी जनश्री बीमा योजना का दावा प्रपत्र प्रकरण के साथ तैयार कर आगे बढायेगें।				अधिकारी जनपद पंचायत			

अधोसंरचना विकास के आभाव में आर्थिक प्रगति की संभावनायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। विशेषकर आदिवासी बाहुल्य जिलों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति उपलब्ध अधोसंरचना की स्थिति पर निर्भर करती है। प्रायः निजी सेक्टर द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जाता है जहां पर आधारभूत अधोसंरचनायें विकसित रूप में उपलब्ध हों। केंद्र शासन व राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधोसंरचना के माध्यम से द्रुत गति से विकास किया जा रहा है। अतः डिण्डौरी जिले के कर्न्वजेंस प्लान में विकास हेतु अधांसरचना की उपलब्धता विशेष महत्व रखती है। इसलिये कर्न्वजेंस प्लान अंतर्गत अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग आदि के संयुक्त तत्वाधान में कार्ययोजना तैयार की गई है।

ou foHkkx d lkFk dUotsUl

डिण्डौरी जिला में वन क्षेत्र 2307.454 वर्ग कि0मी0 में फैला हुआ है जो कि कुल क्षेत्रफल का 37.7 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में से संरक्षित वन क्षेत्र 2285.84 वर्ग कि0मी0 एवं सुरक्षित वन 21.608 वर्ग कि0मी0 है। डिण्डौरी जिले के वन आर्द्र उच्च साल वन है। वन क्षेत्र के अन्तर्गत 86 ग्राम वन ग्राम है जहॅा पर वन संरक्षण अधिनियमों के कारण विकास नहीं हो पाया है। जिले के प्रमुख वन उत्पाद लकड़ी जिसमे साल, सागौन, सरई प्रमुख है। जिले में लघु वनउपज के रूप में बहुमूल्य औषधी पौधों की प्रजातियॅा एवं तेदू पत्ता, अचार की चिरौजी, हर्रा, बहेड़ा, महुआ आदि है। जिले में वनों से लघु वनउपज का संग्रहण ज्यादातर आदिवासी जिनमें महिलाए प्रमुख है, करते है। जिले के वन क्षेत्र का 640.70 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र भारत सरकार द्वारा चिन्हित अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र में आता है जिसे यूनिसेफ द्वारा मैब नेटवर्किंग प्रोग्राम के तहत् चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं विश्व के स्तर से भी अधिक औसत जैव विविधता है जिसके कारणविदेशी एवं देश के पादप वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए विशेष रूचि का क्षेत्र है। सघन वन होने के कारण वन संपदा से जुड़ी आजीविका एवं जैव पर्यटन की अपार संभावना है।

ou foHkkx d lkFk dUotsl d iejk fcUn

1- जिले के समस्त वन मार्गो का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर उन्नयन करना।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिले के समस्त वन ग्रामों में निवासरत मजदूरों के लिए अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करना।

3. Eco Tourism की आपार संभावनाओं को देखते हुये पर्यटन विकास हेतु प्रयास करना।

4. जिले के समस्त वन ग्रामों का वन विकास अभिकरण और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा मिशन के माध्यम से विद्युतीकरण करना।

5. वन ग्राम में निवासरत भूमिहीन या सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछडे परिवारों को आजीविका विकास हेतु लघु वनोपज जैसे महुआ, चिरौजी, आंवला, औषधी पौधे एवं उत्पाद, माहुल पत्ता, शहद संग्रहण, लाख उत्पादन आदि गतिविधियों से जोडना।

dUotsUl lsodkl

6. जिन वन ग्रामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत भण्डारण हेतु गोदाम नहीं है वहां पर विश्व खाद्य कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित भवनों का भण्डारण हेतु उपयोग करना।

7. वन विकास अभिकरण से राशि प्राप्त कर मिट्टी तेल के भण्डारण हेतु टेंक क्रय करना।

dk;l;kt uk

क्र	गति विधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियानवयन ऐजन्सी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग / योजना / मद	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वन मार्गो का उन्नयन	SDO Forest	जिले के समस्त वन मार्गो का उन्नयन करना।	वन विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार	NREGA		वन विभाग	वन ग्राम	1. प्रस्ताव प्रेषित करना 05.10.09 2. प्रशा.स्वीकृति जारी करना 15.10.09	
2	Eco Tourism	जिला पंचायत एवं पर्यटन विभाग	Eco Tourism हेतु पर्यटन विकास का प्रयास करना।	–	BRGF, MPRLP, SGSY		जिला पंचायत एवं वन विभाग	कबीर मय खुरखुरीदादर, चांडा, जगतपुर	15 अक्टूबर 09	म.प्र. पर्यटन विकास निगम से tie up
3	वन ग्रामों में विद्युतीकरण	श्री प्रवीण तिवारी (सहा.यंत्री, रा.गां.अ. ऊर्जा मिशन)	जिले के समस्त वन ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना।		1. राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा मिशन 2. वन विकास अभिकरण		1. राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा मिशन 2. वन विकास अभिकरण	वन ग्राम	1. 15.10..09 तक वन विकास अभिकरण द्वारा हितग्राही संख्या के मान से राशि जमा करना। 2. 31.12.09 तक सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करना।	

4	सार्वजनिक वितरण अंतर्गत खाद्यान्न भण्डारण	श्री तिवारी, खाद्य निरीक्षक	वन ग्रामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत भण्डारण हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित भवनों का उपयोग।		FDA, ARCS				1. 15.10.09 तक चिन्हांकन करना। 2. 30.10.09 तक मरम्मत कार्य करना।	
5	मिट्टी तेल के भण्डारण हेतु टेंक क्रय	श्री तिवारी, खाद्य निरीक्षक	वन विकास अभिकरण से राशि प्राप्त कर मिट्टी तेल के भण्डारण हेतु टेंक क्रय करना।		FDA,				1. 15.10.09 तक चिन्हांकन करना। 2. 30.11.09 तक क्रय।	

i/kku e=h xzke lMd ;kstuk

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत डिण्डौरी जिला आदिवासी बाहुल्य होने के कारण 250 तक की जनसंख्या की जनसंख्या वाले ग्रामों को ब्लेकटॉप रोड़ मार्गों से जोड़ा जा रहा है। जिले में रोडो एवं मार्गो की कुल लंम्बाई लगभग 1758 किलो मीटर है जिसमे से 768 किलो मीटर पक्की एवं 990 किलो मीटर कच्ची सड़के है। जिले में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं पंचायतों की सड़के है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत प्रस्तावित तथा निमार्णाधीन मार्गो के कार्य स्थल पर होने वाले उत्खनन् को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा जा रहा है। जिसके अंतर्गत रोड निर्माण में आवश्यक मिट्टी, मुरूम आदि के उत्खनन् की अस्थाई लीज ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर ही दी जायेगी। उक्त स्थल से उत्खनन् के उपरांत निर्मित हुई संरचना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत राशि प्रदाय करते हुये तालाब/परकोलेशन टेंक का रूप दिया जायेगा।

dk;Z;kstuk

क्र	गति विधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियानवयन ऐजन्सी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग/योजना/मद	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

dUotZUl ls fodkl

1	तालाब / परकोलेशन टेंक निर्माण।	श्री बघेल, खनिज अधिकारी	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत प्रस्तावित तथा निमार्णाधीन मार्गो के कार्य स्थल पर होने वाले उत्खनन् को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से रोड निर्माण में आवश्यक मिट्‌टी, मुरूम आदि के उत्खनन् की अस्थाई लीज ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत द्वारा दी जाकर उत्खनन् के उपरांत निर्मित हुई संरचना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत राशि प्रदाय करते हुये तालाब/परकोलेशन टेंक का रूप प्रदान करना।		NREGA		ग्राम पंचायत	रोड निर्माण हेतु ले–आऊट/ नक्शे अनुसार।	1. प्रस्ताव प्रेषित करना 05.10.09 2. प्रशा.स्वीकृति जारी करना 15.10.09	

ykd LokLF; ,o ;kf=dh foHkkx

मई–जून के माह में डिण्डौरी जिले के कई ग्रामों में पेयजल परिवहन किया जाता है। वहीं कई ग्राम ऐसे है जहां पर पेयजल के स्त्रोतों में फ्लोराईड की समस्या है। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के पास पर्याप्त अमला न होने के कारण कई हैण्ड पंप विभिन्न कारणों से बंद पड़े हुये है या अन्य पेयजल के स्त्रोतों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को देखते हुये कर्न्वजेंस प्लान के अंतर्गत ऐसे सभी ग्राम जहां पर पेयजल की समस्या है उन ग्रामों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की उपयोजना fue|y uhj अंतर्गत सार्वजनिक कूप स्वीकृत करना।

dk;Z;kstuk

क्र	गति विधि	नोडल अधिकारी	लक्ष्य		वित्तीय संसाधन		क्रियानवयन ऐजन्सी	भौगोलिक क्षेत्र	समय सीमा	रिमार्क
			गतिविधि का विवरण	संख्या	विभाग / योजना / मद	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पेयजल कूप निर्माण	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	Not Covered (NC), Partially Covered (PC), Flouride या अन्य कारणों से पेयजल की समस्या से ग्रसित ग्रामों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की उपयोजना *fuely uhj* अंतर्गत सार्वजनिक कूप स्वीकृत करना।		NREGA		ग्राम पंचायत	समस्या अनुसार	1. प्रस्ताव प्रेषित करना 05.10.09 2. प्रशा.स्वीकृति जारी करना 15.10.09	
2.	वनग्राम तथा दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में लाईनमेन / मेकेनिक की व्यवस्था	संबंधित SDO (PHE)	जिले के समस्व वनग्राम तथा दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में लाईनमेन / मेकेनिक की व्यवस्था सुनिश्चित करें।		SGSY		कार्यपालन यंत्री लो.स्वा. या.विभाग	समस्या अनुसार	हितग्राही चयन दिनांक 15.10.09 तक दिनांक 30.10.09 तक प्रशिक्षण	